

प्रश्नपत्र 8 : अप्रत्यक्ष कर कानून
(PAPER 8 : INDIRECT TAX LAWS)

भाग III : प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न

नोट : सभी प्रश्नों का उत्तर कानून की स्थिति जैसा वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया तथा 31.10.2015 तक जारी अधिसूचना/परिपत्र पर आधारित है।

उत्पादयोग्य वस्तु का वर्गीकरण

1. एक चिकित्सक की पर्ची के बिना काउंटर दुकान पर उपलब्ध एक चर्म क्रीम को सदा एक सौंदर्य प्रसाधन के रूप में वर्गीकृत किया है तथा न कि दवाई के रूप में।

क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं? केंद्रीय उत्पाद के अन्तर्गत वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए सौंदर्य/प्रसाधन तैयारी तथा दवा के मध्य अंतर करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा Ciens Laboratory के मामले में रखे सिद्धांत को लाते हुए अपने उत्तर का कारण दें।

सेनवेट क्रेडिट

2. Gauri Manufacturers 12.5% की दर से उत्पाद शुल्क के लिए दायी उत्पाद 'X' के निर्माण में लिप्त है। यह उत्पाद 'Y' का भी निर्माण करती है जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 1/2011 CE दिनांक 01.03.2011 के अन्तर्गत विमुक्ति का लाभ प्राप्त किया है। अक्टूबर, 2015 के माह में, इसने ₹ 240 लाख के निर्धारणयोग्य मूल्य की उत्पाद 'X' तथा ₹ 80 लाख के निर्धारणयोग्य मूल्य का उत्पाद Y को क्लीयर किया।

उत्पाद 'X' के निर्माण के लिए, इनपुट 'P' तथा इनपुट 'R' का उपयोग किया, जबकि उत्पाद Y के निर्माण में केवल इनपुट 'R' का उपयोग किया। इनपुट 'P' के संबंध में उक्त माह में भुगतान शुल्क ₹ 10 लाख तथा R के संबंध में भुगतान शुल्क ₹ 9.6 लाख है।

क्योंकि Gauri उत्पाद 'X' तथा उत्पाद 'Y' में इनपुट 'R' के उपयोग के संबंध में पृथक् खाता को नहीं रखती, उसने सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत सेनवेट नियम को चुनने का विकल्प लिया।

आपको गणना करनी है :

- (i) नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि; तथा
- (ii) अक्टूबर, 2015 के माह के लिए Garui Manufactuer के द्वारा भुगतानयोग्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेनवेट क्रेडिट का उपलब्ध द्वारा भुगतानयोग्य शुल्क तथा नकद में भुगतान शुल्क को पृथक् रूप से दिखाते हुए।

नोट : 2% की दर से उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 1/2011-CE दिनांक 01.03.2011 के अन्तर्गत 2% की दर से उत्पाद शुल्क भुगतानयोग्य है। Gauri Manufacturers के साथ सेनवेट क्रेडिट का कोई आरंभिक शेष उपलब्ध नहीं है।

उत्पादयोग्य वस्तु का मूल्यांकन

3. ABC Ltd. मशीन के निर्माण में लिप्त है। इसने एक्स फैक्टरी आधार पर XYZ Ltd. को मशीन बेची। मशीन की बिक्री कीमत (सभी कर तथा शुल्क को छोड़कर) ₹ 8,00,000 है। उत्पाद शुल्क की दर 12.5% है।

उपरोक्त बिक्री कीमत में XYZ Ltd. में वसूल निम्न राशि सम्मिलित है।

| | | ₹ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (i) | XYZ Ltd. परिसर पर मशीन की स्थापना तथा इरेक्शन से संबंधित व्यय (मशीन को स्थायी रूप से जमीन से जोड़ना) | 30,000 |
| (ii) | मशीन की सुरक्षित यातायात के लिए कारुगेटिड बाक्स में विशेष पैकिंग | 6,000 |
| (iii) | विज्ञापन तथा प्रचार प्रभार | 16,000 |
| (iv) | सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण प्रभार तथा बिक्री उपरांत सेवा प्रभार | 22,000 |
| (v) | वारंटी प्रभार | 28,000 |

निम्न अतिरिक्त सूचना भी उपलब्ध है :

- XYZ Ltd. ने ₹ 8,00,000 की बिक्री कीमत पर ₹ 32,000 का व्यापारिक बट्टा दिया।
- XYZ Ltd. ने ABC Ltd. की तरफ से तृतीय पक्ष Softec Ltd. को उक्त मशीन के लिए डिजाइन तथा विकास प्रभार के रूप में ₹ 20,000 का भुगतान किया।
- मशीन के उत्पादन में प्रयुक्त ₹ 10,000 के मूल्य की मोल्ड तथा डाइज को XYZ Ltd. द्वारा निःशुल्क आपूर्ति की गयी है।
- ₹ 8,000 की खरीदी एक्ससरीज की मशीन के साथ आपूर्ति की। मशीन की 8,00,000 की बिक्री कीमत में इस प्रकार खरीदी एक्ससरीज का मूल्य सम्मिलित नहीं है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उद्देश्य के लिए मशीन पर भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क का निर्धारण करें।

SSI विमुक्ति

4. ABC Manufacturing Co. तीन भिन्न कारखाने में तीन उत्पाद A, B तथा C के निर्माण में लिप्त है। पहले के वित्तीय वर्ष के लिए निम्न विवरण से बताएं कि क्या ABC Manufacturing Co. चालू वित्तीय वर्ष के लिए अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 के अन्तर्गत लघु विमुक्ति के लिए पात्र है।

| क्रम संख्या | विवरण | उत्पाद 'A' (लाख ₹) | उत्पाद 'B' (लाख ₹) | उत्पाद 'C' (लाख ₹) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | अधिसूचना 8/2003 CE के अतिरिक्त अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान से विमुक्त उत्पादयोग्य वस्तु की क्लीयरेंस | 20 | 30 | 10 |
| 2. | एक अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाले केंद्रीय उत्पाद टैरिफ की प्रथम अनुसूची का शीर्ष 4820 के अन्तर्गत आने वाला लेखा पुस्तकों की क्लीयरेंस | 35 | 40 | 25 |
| 3. | अधिसूचना संख्या 108/95-CE के अन्तर्गत विमुक्त संयुक्त राष्ट्र को उत्पादयोग्य वस्तु की क्लीयरेंस | 10 | 30 | 10 |
| 4. | इंग्लैंड को निर्यात | 125 | 20 | 100 |
| 5. | भूटान को निर्यात | 20 | 20 | 10 |
| 6. | केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 3A के अन्तर्गत उत्पादन की वार्षिक क्षमता के आधार पर भुगतानयोग्य शुल्क | 50 | 60 | 50 |
| 7. | खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग (KVIC) का ब्रांड नाम वाले वस्तु की क्लीयरेंस | 25 | 25 | 30 |

केंद्रीय उत्पाद के अन्तर्गत परिपत्र

5. केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के द्वारा जारी परिपत्र जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत है, क्रमशः विधान के अन्तर्गत प्राधिकरण पर बाध्य नहीं है।

एक निर्णीत वाद तथा इस संबंध में CBEC द्वारा जारी एक नवीन परिपत्र की सहायता से वक्तव्य की वैधता पर चर्चा करें।

सेवाकर की मूल अवधारणा

6. ₹ 1000 प्रतिमाह का अंशदान करने वाले 10 व्यक्ति जून, 2015 में 10 माह के लिए चिट का आयोजन करने के लिए एक साथ आये। श्री A इस प्रकार का चिट फंड का फोरमेन है। प्रथम माह के अंत पर, ₹ 10,000 (₹ 1000 × 10) चिट फंड की किटी में उपलब्ध है। उक्त राशि की श्री A द्वारा नीलामी की जाती है तथा वह अभियाचक जो पहले धन का आहरण में हित रखते हैं, नीलामी में भाग लेते हैं। एक सफल बोली दाता श्री B ने ₹ 1000 की अधिकतम राशि का बट्टा किया तथा इसलिए चिट राशि दी गयी।

श्री A चिट की कार्यवाही को करने के लिए कमीशन के रूप में ₹ 50 (बट्टा राशि का 5%) प्राप्त करता है। शेष ₹ 950 को लाभांश के रूप में शेष अभियाचक को वितरित कर दिया जाता है।

परीक्षण करें क्या श्री A द्वारा चलायी जा रही गतिविधि सेवाकर के लिए दायी है?

दंड प्रावधान

7. वित्त अधिनियम, 2015 ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 76 तथा धारा 78 के अन्तर्गत दंड प्रावधान का युक्तिकरण किया। इन दो धाराओं के अन्तर्गत दंड प्रावधान की तुलना के द्वारा व्याख्या करें।

सेवाकर की मूल अवधारणा

8. एक करयोग्य सेवा प्रदानकर्ता श्री A ने श्री B को करयोग्य सेवा प्रदान की। उनके मध्य प्रविष्ट सेवा का संविदा वर्णित करता है कि श्री A अपने दायित्व के निर्वाहन के संबंध में सभी कर, शुल्क तथा अन्य दायित्व का वहन करेगा जब सेवा प्रदान की जा रही थी, कानून में एक संशोधन ने पूर्ववर्ती प्रभाव से सेवा प्रदानकर्ता से सेवा प्राप्तकर्ता को इस प्रकार करयोग्य सेवा के मामले में सेवाकर के भुगतान के लिए दायित्व को शिफ्ट किया अर्थात् रिवर्स प्रभार प्रावधान को लागू किया।

आपको निर्णीत मामला (यदि कोई है तो) की सहायता से निम्न प्रश्न का उत्तर देना है।

- (i) क्या श्री B जो रिवर्स प्रभार के अन्तर्गत सेवाकर के भुगतान के लिए दायी है, श्री A द्वारा उगाहा बिल के विरुद्ध किया भुगतान से सेवाकर की कटौती कर श्री A पर इस प्रकार का सेवाकर का भार शिफ्ट कर सकता है।
- (ii) क्या श्री B राजस्व को श्री A से सेवाकर को वसूल करने के लिए कह सकता है क्योंकि सेवा की संविदा वर्णित करती है कि श्री A अपने दायित्व के निर्वाहन में सभी कर, शुल्क तथा अन्य दायित्व का वहन करेगा।

घोषित सेवा

9. वस्तु का उपयोग का अधिकार के अंतरण के बिना वस्तु का अंतरण घोषित वस्तु के रूप में सेवाकर के लिए दायी है। निर्णीत उच्चतम न्यायालय की सहायता से 'वस्तु' के उपयोग का अधिकार की अवधारणा तथा साथ में "वस्तु का उपयोग के अधिकार का

अंतरण" में कोई सौदा लिप्त है, के निर्धारण के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत को स्पष्ट करें। वस्तु के अंतरण के दो उदाहरण में जिसमें इस प्रकार की वस्तु के उपयोग का अधिकार का अंतरण लिप्त नहीं है।

करयोग्य सेवा का मूल्यांकन

10. श्री P ने 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त त्रैमासिक के दौरान उसके द्वारा की गयी गतिविधियों से निम्न राशि को प्राप्त किया :

| क्रम संख्या | विवरण | लाख ₹ में |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) | सरकारी प्रतिभूतियों में सौदे के लिए प्राप्त राशि* | 7.00 |
| (ii) | क्लीयरिंग तथा फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में कार्य के लिए कमीशन* | 4.50 |
| (iii) | अंशों में सौदे के लिए प्राप्त राशि | 18.25 |
| (iv) | अन्य से संबंधित वस्तु की बिक्री पर अर्जित कमीशन | 1.75 |
| (v) | वस्तु पयूचर से संबंधित सहायक सेवा को प्रदान करने के लिए प्रभार | 7.00 |
| योग | | 38.50 |

*बिक्री कीमत तथा क्रय कीमत के मध्य अंतर

आपको उक्त त्रैमासिक के लिए श्री P की करयोग्य सेवा का मूल्य तथा सेवाकर दायित्व की गणना करनी होगी।

नोट :

- सेवाकर की दर 14% है तथा उपरोक्त सभी राशि सेवाकर से अलग है।
- श्री P अधिसूचना संख्या 33/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अन्तर्गत लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

11. Hotel Beach Glory ने अक्टूबर 2015 के माह के लिए निम्न सूचना प्रदान की :

| क्रम संख्या | प्रदान सेवा | (₹) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (i) | वातानुकूलन सुविधा के साथ रेस्त्रां में भोजन का परोसना | 3,00,000 |
| (ii) | कांफ्रेंस के आयोजन के लिए कन्वेंशन सेंटर में भोजन की आपूर्ति, उसके किराये के साथ | 2,80,000 |
| (iii) | कमरों का किराया (घोषित टैरिफ ₹ 2500 प्रति कमरा प्रतिदिन) | 1,20,000 |
| (iv) | CBSE से जुड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रदान खानपान सेवा | 60,000 |
| (v) | अभियांत्रिकी परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले कोचिंग संस्थान को प्रदान बाहरी खानपान सेवा | 1,50,000 |
| योग | | 9,10,000 |

आपको अक्टूबर, 2015 के माह के लिए Hotel Beach Glory की करयोग्य सेवा का मूल्य तथा सेवाकर दायित्व की गणना करनी है।

नोट :

- (i) उपरोक्त सभी राशि सेवाकर से अलग है।
- (ii) Hotel Beach Glory अधिसूचना संख्या 33/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अन्तर्गत लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है तथा इनपुट तथा पूँजी वस्तु पर सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त नहीं करता।

12. Omega Pvt. Ltd. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवा को प्रदान करता है। इसने अक्टूबर 2015 के दौरान इसके द्वारा प्रदान सेवा के प्रतिफल स्वरूप निम्न राशि को प्राप्त किया :

| क्रम संख्या | विवरण | (₹) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (i) | सॉफ्टवेयर का ऑन साइट विकास | 80,000 |
| (ii) | CD में रखा प्रीपैकेज सॉफ्टवेयर की बिक्री | 2,50,000 |
| (iii) | सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर से संबंधित मामलों पर सलाह, परामर्श तथा सहायता | 20,000 |
| (iv) | सॉफ्टवेयर का कस्टमाइज विकास तथा CD पर उसके ग्राहकों को सुपुर्दगी | 1,00,000 |
| (v) | उपयोग का अधिकार के अंतरण के बिना प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। | 60,000 |
| (vi) | अंतिम उपयोग की पाबंदी के साथ प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करना | 2,50,000 |

Omega Pvt. Ltd. की करयोग्य सेवा तथा सेवाकर दायित्व की गणना करें जहां पर लागू हो, उपरोक्त राशि में 14% की दर से सेवाकर सम्मिलित है। Omega Pvt. Ltd. अधिसूचना संख्या 33/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के अन्तर्गत लघु सेवा प्रदानकर्ता विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है।

सेवाकर के अन्तर्गत अपील

13. श्री T ने करयोग्य सेवा को प्रदान किया जिसे निर्यात किया जाता है। उसने निर्यातित की जा रही सेवा को प्रदान करने में प्रयुक्त इनपुट सेवा पर उसके द्वारा भुगतान सेवाकर की छूट का दावा किया। यद्यपि केंद्रीय उत्पाद के सहायक आयुक्त ने छूट दावा को देने से इंकार किया। केंद्रीय उत्पाद के सहायक आयुक्त के आदेश की आयुक्त (अपील) के द्वारा पुष्टि की गई। श्री T आयुक्त (अपील) के उक्त आदेश के विरुद्ध CESTAT में अपील फाइल करना चाहता है।

वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के संदर्भ में चर्चा करें क्या श्री T सेवाकर छूट का इंकार करने वाले आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध CESTAT में अपील फाइल कर सकता है।

सेवा का प्रावधान का स्थान

14. ABC Fabricators का गुजरात में स्थित कारखाना है। उसने जापान में स्थित अपने ग्राहकों से कुछ वस्तु का अस्थायी रूप से आयात किया तथा गुजरात में किसी उपयोग में लाये बिना आवश्यक मरम्मत करने के पश्चात् उसे चीन में पुनः निर्यातित कर दिया। परीक्षण करें सेवा नियम का प्रावधान स्थान 2012 के संदर्भ में दिये गये मामले में सेवा प्रावधान का स्थान क्या होगा। क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि मरम्मत की गई वस्तु को कुछ समय के लिए गुजरात में उपयोग के पश्चात् पुनः निर्यात किया?

सेवाकर का आधिक्य भुगतान का समायोजन

15. 30 सितम्बर 2015 को समाप्त त्रैमासिक के लिए X का सेवाकर दायित्व ₹ 10,000 था। यद्यपि, उस सेवा का ऑन-लाइन भुगतान करते समय, श्री X ने गलती से ₹ 30,000 का भुगतान किया। सेवाकर नियम, 1994 की नियम 6(4A) के अंदर क्या उपचार उपलब्ध है।

क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि आधिक्य भुगतान अचल सम्पत्ति के किराया के मामले में सम्पत्ति कर की तरफ कटौती की गैर-उपलब्धता के कारण है।

आयातित वस्तु का मूल्यांकन तथा सीमा शुल्क की गणना

16. AST Ltd. अमेरिका से मशीन का आयात करती है। इसके द्वारा दी गयी निम्न सूचना से कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निर्धारणयोग्य मूल्य तथा भुगतानयोग्य कुल सीमा शुल्क की गणना करें :

| क्रम संख्या | विवरण | राशि |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) | निर्यातक के कारखाने में मशीन की लागत | US \$ 20,000 |
| (ii) | शिपमेंट के लिए बंदरगाह को निर्यातक की फैक्टरी से यातायात प्रभार | US \$ 750 |
| (iii) | जहाज में मशीन का लदान के लिए हैंडलिंग प्रभार | US \$ 100 |
| (iv) | भारत में निर्यात देश से भाड़ा प्रभार | US \$ 5,000 |
| (v) | आयातक द्वारा भुगतान क्रय कमीशन | US \$ 100 |
| (vi) | आयात के बंदरगाह पर आयातक द्वारा भुगतान लाइसेंस प्रभार | ₹ 15,000 |
| (vii) | अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो से प्रवेश के बंदरगाह से उत्पन्न भाड़ा | ₹ 60,000 |
| (viii) | आयात के बंदरगाह पर भुगतान जहाज विलम्ब शुल्क भुगतान | ₹ 21,000 |

अन्य विवरण नीचे दिया गया है :

| विवरण | प्रवेश के बिल की प्रस्तुति | प्रवेश इनवर्ड |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| तिथि | 20.01.2015 | 25.02.2015 |
| मूल सीमा शुल्क की दर | 20% | 10% |
| CBEC द्वारा अधिसूचित विनिमय की दर | ₹ 60 प्रति US \$ | ₹ 65 प्रति US \$ |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य अतिरिक्त शुल्क की दर | कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य अतिरिक्त शुल्क की दर | शिक्षण उपकर |
| 12.5% | 4% | जैसा लागू |

कस्टम कानून के अन्तर्गत अग्रिम निर्णय

17. Mr. Q एक सकल स्वामित्व फर्म 'Safe and Super Importers' का स्वामी है। श्री Q कभी भारत से बाहर किसी स्थान पर नहीं गया। फर्म एक उत्पाद का आयात करने का प्रस्ताव रखता है। श्री Q कस्टम टैरिफ के अन्तर्गत उत्पाद के सही वर्गीकरण के बारे में निश्चित नहीं है। उसके कर सलाहकार ने उसे सूचित किया कि उक्त वर्गीकरण मुद्दे का एक भिन्न मामले में CESTAT द्वारा निर्णीत किया गया। यद्यपि, श्री Q कोई चूक नहीं चाहता तथा इसके द्वारा आयातित किए जाने वाला उत्पाद के वर्गीकरण के संबंध में कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 28H के अन्तर्गत अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण से निर्णय लेने के लिए इच्छुक है।

हाल के संशोधन के प्रकाश में, वर्णित करें क्या Safe and Super Importers कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत वर्तमान मामले में अग्रिम निर्णय की मांग कर सकते हैं।

ड्यूटी ड्राबैक तथा सीमा शुल्क का लगाना तथा विमुक्ति

18. (a) Xavier Exports ने अखिल भारतीय उद्योग दर (AIR) के अन्तर्गत ड्यूटी ड्राबैक दावा फाइल किया। अपने व्यापार मॉडल में कुछ बदलाव के कारण, वे ड्राबैक की विशेष ब्रांड दर निश्चित करने के जरिये उपरोक्त दावे का पुनरीक्षण करना चाहते हैं।
- संक्षेप में स्पष्ट करें कि क्या इस प्रकार का बदलाव कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्राबैक नियम, 1995 के अन्तर्गत अनुमेय है।
- (b) चोरी की गयी वस्तु तथा नष्ट वस्तु को कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत उसी तरीके में डील नहीं किया जाता।
- कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत दो प्रकार की वस्तु से संबंधित प्रावधान के मध्य अंतर को बताएँ तथा स्पष्ट करें।

अवैध आयात, जब्ती तथा दंड

19. कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, क्या बॉण्ड के निष्पादन पर आयातित वस्तु को छोड़ने के पश्चात् धारा 112 के अन्तर्गत विमोचन जुर्माना तथा दंड लगाया जा सकता है यदि बाद में यह पाया गया कि आयात में अनियमितता है? निर्णीत मामला यदि कोई है तो उसकी सहायता से चर्चा करें।

विदेश व्यापार नीति

20. (a) निर्यात उन्मुख यूनिट योजना है जैसा विदेश व्यापार नीति में समाहित से संबंधित प्रावधान के संदर्भ में निम्न प्रश्नों का उत्तर दें :
- (i) एक निर्यात उन्मुख यूनिट (EOU) ने अनुमति पत्र की प्राप्ति की तिथि से 4 वर्ष 10 माह के पश्चात् उत्पादन आरंभ किया क्या यह सही है?
- (ii) हस्तशिल्प में व्यापार की इच्छा रखने वाली एक यूनिट EOU को स्थापित करना चाहती है। क्या यह स्वीकृत है?
- (b) XYZ Co. Ltd. दिल्ली ने एक सक्रिय IEC के साथ प्राकृतिक सेवा पर अनुसंधान तथा विकास सेवा वर्तमान वित्तीय वर्ष में अमेरिका आधारित कम्पनी को प्रदान की। इसने पहले वित्तीय वर्ष में इसने US\$ 14,000 की शुद्ध विदेशी मुद्रा का अर्जन किया। क्या XYZ Co. Ltd. इसके द्वारा प्रदान सेवा के संबंध में भारत से सेवा का निर्यात का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- *भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के अन्तर्गत लाभ को प्राप्त करने के लिए अधिसूचित।*

सुझाया उत्तर/संकेत

1. नहीं, मैं वक्तव्य से सहमत नहीं। 5% एक चिकित्सक की पर्ची के बिना मलहम की उपलब्धता इसे सौंदर्य प्रसाधन तैयारी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रासंगिक मापदंड नहीं है, जो प्रासंगिक है वह है अर्थात् क्या है "देखभाल" के लिए है अथवा 'इलाज' के लिए है।
- उच्चतम न्यायालय ने *CCEx. v. Ciens Laboratories 2013 (295) ELT 3 (SC)* के मामले में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक उत्पाद को औषधि के रूप में अथवा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, के लिए निम्न महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत को रखा है जो समाहित करता है।
- (i) जब एक उत्पाद एक फार्मा अवयव को समाहित करता है जिसकी औषधीय अथवा रोग निरोधी अथवा उपचारात्मक विशेषता है, इस प्रकार के अवयव का अनुपात वर्गीकरण में निर्णायक फ़ैक्टर नहीं है। प्रासंगिक फ़ैक्टर इस प्रकार का अवयव का उपचारात्मक विशेषता है जो उत्पाद को औषधि बनाता है न कि सौंदर्य प्रसाधन।

- (ii) यद्यपि उत्पाद को एक चिकित्सक की पर्ची के बिना बेचा जाता है, यह तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाता कि सभी उत्पाद जिसे काउंटर पर बेचा जाता है सौंदर्य प्रसाधन हैं। कई उत्पाद हैं जिन्हें काउंटर पर बेचा जाता है तथा फिर भी औषधि हैं।
- (iii) यह निर्णयन करने से पूर्व क्या उत्पाद दवाई है अथवा नहीं यह देखना है कि व्यक्ति इसे वास्तव में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, एवं इसे कैसे समझते हैं। यदि एक उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य 'देखभाल' करना तथा 'उपचार' नहीं है तो यह दवाई नहीं है। चिकित्सीय उत्पाद को कुछ चिकित्सा स्थिति का इलाज अथवा उपचार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जबकि सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद का उपयोग एक व्यक्ति की शक्ल अथवा सुंदरता को बढ़ाने अथवा सुधारने में किया जाता है।
- (iv) एक उत्पाद जिसे मुख्यतः बीमारी अथवा रोग के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है तथा उपचारात्मक अवयव को समाहित करता है चाहे लघु मात्रा में हो, को औषधि माना जायेगा।

उपरोक्त अवलोकन पर आधारित उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि क्रीम में फार्मा अवयव की उपस्थिति (इस मामले में क्रीम का फॉर्म तत्व है) दिखाता है कि इसे रोग निवारक उद्देश्य जैसे मानव की सूखी चमड़ी के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा प्राथमिक रूप से चमड़ी का संरक्षण के लिए इसे औषधि के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

2. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 (CCR) के नियम 2(d) के अनुसार, अधिसूचना संख्या 1/204 CE दिनांक 1.03.2011 के अन्तर्गत 2% की दर से उत्पाद शुल्क के भुगतान के द्वारा क्लीयर वस्तु विमुक्त वस्तु है। Gauri Manufacturer दोनों उत्पादयोग्य वस्तु 'X' तथा विमुक्त वस्तु 'Y' के निर्माण में सामान्य इनपुट 'R' का उपयोग करते हैं, CCR का नियम इस मामले में लागू होगा।

जब दोनों शुल्कयोग्य तथा विमुक्त अंतिम उत्पाद के निर्माण में एक जैसे इनपुट का उपयोग होता है उसके लिए पृथक् खाता नहीं रखा जाता, CCR का नियम 6(3)(i) निर्माता को विमुक्त वस्तु के मूल्य का 6% की राशि के भुगतान द्वारा एक समान इनपुट पर पूर्ण क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए निर्माता को विकल्प देता है।

नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि की गणना तथा भुगतानयोग्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क

| विवरण | (₹) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| विमुक्त वस्तु का मूल्य का 6% (₹ 80 लाख × 6%) | 4,80,000 |
| घटाएँ : विमुक्त वस्तु का 2% की दर से भुगतान उत्पाद शुल्क [नोट 1] | <u>1,60,000</u> |
| CCR के नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि | <u>3,20,000</u> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 'X' वस्तु पर भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क [₹ 240 लाख × 12.5%] | 30,00,000 |
| प्राप्त सेनवेट क्रेडिट [नोट 2] | 25,60,000 |
| नकद में भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क (₹ 3,20,000 + ₹ 30,00,000 – ₹ 25,60,000) (A) | 7,60,000 |
| नकद में वस्तु 'Y' पर भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क [₹ 80 लाख × 2%] [नोट 3] (B) | 1,60,000 |
| नकद में भुगतानयोग्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क (A) + (B) | 9,20,000 |

नोट :

- विमुक्त वस्तु पर भुगतान उत्पाद शुल्क के नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि से घटाना होगा [CCR का नियम 6(3) का प्रथम उपबंध]।
- क्योंकि इनपुट 'P' को उत्पादयोग्य वस्तु 'X' के निर्माण में प्रयुक्त किया गया, उसका पूर्ण क्रेडिट (₹ 16 लाख) उपलब्ध होगा। आगे, क्योंकि नियम 6(3)(i) के अन्तर्गत विकल्प का उपयोग किया, इनपुट 'R' का पूर्ण क्रेडिट (9.6 लाख) भी उपलब्ध होगा।
- सेनवेट क्रेडिट का उपयोग अधिसूचना संख्या 1/2011 CE दिनांक 01.03.2011 के अन्तर्गत क्लीयर वस्तु पर उत्पाद शुल्क दायित्व के निर्वाहन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

3. मशीन के निर्धारणयोग्य मूल्य की गणना

| विवरण | ₹ | ₹ |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| मशीन की बिक्री कीमत (सभी कर तथा शुल्क) | | 8,00,000 |
| घटायें : व्यापार बट्टा [नोट 1] | 32,000 | |
| स्थापना तथा इरेक्शन | <u>30,000</u> | <u>62,000</u> |
| | | 7,38,000 |
| जोड़ें : डिजाइन तथा विकास प्रभार [नोट 3] | | 20,000 |
| मशीन के साथ आपूर्ति मोल्ड तथा डाइज [नोट 4] | | <u>10,000</u> |
| निर्धारणयोग्य मूल्य | | <u>7,68,000</u> |
| भुगतानयोग्य उत्पाद शुल्क [₹ 7,68,000 × 12.5%] | | 96,000 |

नोट :

- जैसे सौदा मूल्य वास्तव में भुगतान अथवा भुगतानयोग्य कीमत है, व्यापार बट्टा कटौती के रूप में स्वीकार्य है।
- निकासी के स्थान के पश्चात् उत्पन्न स्थापना तथा इरेक्शन पर व्यय तथा अचल सम्पत्ति में परिणामतः को निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा [परिपत्र संख्या 643/34/2002 CX दिनांक 01.07.2002]।

3. मशीन का डिजाइन तथा विकास प्रभार को निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इस प्रकार का प्रभार 'बिक्री से जुड़ा है। आगे, तृतीय पक्ष को निर्माता की तरफ से भुगतान राशि को सौदा मूल्य की परिभाषा के संदर्भ में सम्मिलित करने योग्य है।
 4. विक्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मोल्ड तथा डाइज निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित होने योग्य है (केंद्रीय उत्पाद का नियम उत्पादयोग्य वस्तु की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 का नियम 6 का स्पष्टीकरण।
 5. पैकिंग के किसी प्रकार के संबंध में क्रेता से वसूल राशि निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित करने योग्य है [परिपत्र संख्या 354/81/2000 CE दिनांक 30.06.2000]।
 6. क्रेता द्वारा वहन विज्ञापन तथा प्रचार व्यय तथा बिक्री सेवा प्रभार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 4(3)(b) के अन्तर्गत सौदा मूल्य की परिभाषा के संदर्भ निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित किया है।
 7. क्योंकि सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण प्रभार तथा बिक्री उपरांत सेवा को निर्माता द्वारा वसूल किया गया, उन्हें कर निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित किया है [Tata Motors Ltd. v. UOI 2012 (286) E.L.T. 161 (Bom.)]।
 8. मशीनरी के साथ आपूर्ति क्रय एक्ससरीज निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं की जायेगी [Shriram Bearing Ltd. v. CCE 1997 (91) ELT 255 (SC)]।
4. एक वित्तीय वर्ष में अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 के अन्तर्गत विमुक्ति के लाभ का दावा के लिए एक अथवा अधिक फैक्टरी से निर्माता द्वारा गृह उपयोग के लिए सभी उत्पादयोग्य वस्तु की क्लियरेंस का योग मूल्य पहले के वित्तीय वर्ष में ₹ 400 लाख से अधिक नहीं है। इसलिए दिये गये मामले में, सभी तीन उत्पाद— उत्पाद A, उत्पाद B तथा उत्पाद C को गृह उपभोग के क्लियरेंस के लिए योग मूल्य की गणना के लिए क्लब किया जायेगा।

ABC Manufacturing Co. के गृह उपभोग के लिए क्लियरेंस का योग मूल्य पहले के वित्तीय वर्ष में ₹ 450 लाख है। [नीचे दी गई गणना को देखें, इसलिए, यह चालू वित्तीय वर्ष में अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 1.03.2003 के अन्तर्गत विमुक्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।

पहले के वित्तीय वर्ष के लिए ABC Manufacturing Co. का गृह उपयोग के लिए क्लियरेंस का योग मूल्य की गणना

| विवरण | (लाख ₹ में) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अधिसूचना 8/2003 CE के अतिरिक्त एक अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान से विमुक्त है = ₹ 20 लाख + ₹ 30 लाख + ₹ 10 लाख | 60 |
| एक अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाले लेखा पुस्तकों की क्लियरेंस = ₹ 35 लाख + ₹ 40 लाख + ₹ 25 लाख | 100 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| अधिसूचना संख्या 108/95 CE के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान से विमुक्त संयुक्त राष्ट्र (UN) को उत्पादयोग्य वस्तु [नोट 2] | शून्य |
| इंग्लैंड को निर्यात [नोट 3] | शून्य |
| भूटान को निर्यात [नोट 3] = ₹ 20 लाख + ₹ 20 लाख + ₹ 10 लाख | 50 |
| वस्तु की क्लीयरेंस जिस पर केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 3A के अन्तर्गत शुल्क का भुगतान किया = ₹ 50 लाख + ₹ 60 लाख + ₹ 50 लाख | 160 |
| खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) का ब्रांड नाम वाली वस्तु की क्लीयरेंस = ₹ 25 लाख + ₹ 25 लाख + ₹ 30 लाख | 80 |
| अधिसूचना संख्या 8/2003 CE के संदर्भ में क्लीयरेंस का योग मूल्य | 450 |

नोट :

अधिसूचना संख्या 8/2003 CE दिनांक 01.03.2003 प्रदान करता है कि गृह उपयोग के लिए क्लीयरेंस का योग मूल्य के निर्धारण में :

1. एक अन्य व्यक्ति के ब्रांड नाम वाली क्लीयरेंस जो SSI विमुक्ति की अपात्र है, को अलग करना चाहिए। यद्यपि केंद्रीय उत्पाद टैरिफ की प्रथम अनुसूची की शीर्ष 4820 के अन्तर्गत आने वाली लेखा पुस्तकें तथा खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) के ब्रांड नाम वाली वस्तु की क्लीयरेंस लघु विमुक्ति के लिए पात्र है चाहे यदि वे एक अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम को रखते हैं चाहे पंजीकृत हैं अथवा नहीं। इस प्रकार की क्लीयरेंस को अलग नहीं किया जायेगा।
2. अधिसूचना संख्या 108/95 CE के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र को आपूर्ति शुल्क का भुगतान बिना उत्पादयोग्य वस्तु की क्लीयरेंस को अलग करना चाहिए।
3. निर्यात टर्नओवर को अलग करना चाहिए। यद्यपि भूटान को निर्यात को अलग नहीं किया क्योंकि इन्हें 'गृह उपभोग के लिए क्लीयरेंस' के रूप में माना है।

5. कथन वैध है।

उच्चतम न्यायालय ने *Ratan Melting & Wire Industries v. CCE 2008 (231) ELT 22 (SC)* के मामले में निर्णय दिया कि बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र तथा अनुदेश निःसंदेह रूप से क्रमशः विधान के अन्तर्गत प्राधिकरण पर कानून में बाध्य है, परन्तु जब उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय प्रतिफल के उत्पन्न प्रश्न पर कानून को घोषित करते हैं, न्यायालय के लिए यह उचित नहीं है कि वे परिपत्र को प्रभाव में रखना चाहिए तथा न कि न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के निर्णय में व्यक्त मत को। जहां पर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण/परिपत्र का संबंध है। वे न्यायालय पर बाध्य नहीं है। न्यायालय को घोषणा करनी है कि विधान का विशेष प्रावधान क्या

कहता है तथा न कि कार्यपालक के लिए/एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधान के विपरीत है, का वास्तव में कानून में विधान नहीं है।

उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में, CBEC ने परिपत्र संख्या 1006/13/2015 CX दिनांक 21.09.2015 द्वारा अधिकारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के विपरीत बोर्ड परिपत्र का पालन न करने का निर्देश दिया जहां पर बोर्ड ने मैरिट पर अपील को फाइल न करने का निर्णय लिया।

6. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B का वाक्य (44) सेवा को प्रतिफल के लिए एक अन्य के लिए एक व्यक्ति के द्वारा चलायी जा रही गतिविधि से है। इसमें घोषित सेवा सम्मिलित है। परिभाषा एक गतिविधि को अलग करती है जो केवल धन अथवा कार्यवाही दावा में सौदा है।

यद्यपि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65B(44) को स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि अभिव्यक्ति 'धन अथवा कार्यवाही योग्य दावा' में किसी भी तरीके में एक चिट का परिचालन के लिए चिट फंड के फोरमन के द्वारा चलायी जा रही गतिविधि सहित धन में सौदे को सुलभ करने अथवा के संबंध में एक प्रतिफल के लिए चलायी जा रही, को भी गतिविधि सम्मिलित नहीं है।

इसलिए, श्री A द्वारा चलायी जा रही गतिविधि धन में सौदा नहीं है, परन्तु धन में एक सौदे की सुलभता अथवा के संबंध में प्रतिफल के लिए है। इसलिए, श्री 'A' द्वारा चलायी जा रही गतिविधि धारा 65(B) के संदर्भ में सेवा का तथा सेवा कर के लिए दायी है।

7. वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 76 एक गैर-धोखाधड़ी मामले में सेवाकर के भुगतान के लिए विफलता के लिए दंड को प्रदान करता है जबकि धारा 76 दंड के लिए प्रदान करता है जब सेवाकर का धोखाधड़ी के कारण भुगतान नहीं किया। वित्त अधिनियम, 2015 ने इस धारा के अन्तर्गत दंड प्रावधान का युक्तिकरण के मत से दोनों धारा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस प्रावधान में किया महत्वपूर्ण संशोधन है :

- (i) धारा 76 के अन्तर्गत दंड को पहले भुगतानयोग्य सेवाकर का 50% का अधिकतम के विरुद्ध भुगतानयोग्य सेवाकर का 10% अधिकतम सीमित है।
- (ii) संशोधित धारा 76 के अन्तर्गत, कोई दंड भुगतानयोग्य नहीं होगा तथा भुगतानयोग्य सेवाकर तथा उस पर ब्याज के संबंध में कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा। यदि धारा 73(1) के अन्तर्गत नोटिस की सर्विस की तिथि का 30 दिवस के अन्तर्गत भुगतान किया। भुगतानयोग्य दंड को आदेश में लगाया दंड का 25% तक कम कर दिया जायेगा यदि सेवाकर, ब्याज तथा इस प्रकार घटायी दंड का भुगतान आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर किया। धारा 76 का पहले का प्रावधान शून्य/घटा दंड को प्रदान नहीं करता।
- (iii) धोखाधड़ी मामले में सेवाकर की गलत वापसी अथवा कम/करना, लगाना अथवा कम/गैर-भुगतान के लिए धारा 78 के अन्तर्गत लगने वाले दंड को भुगतानयोग्य सेवाकर का 15% तक कम किया जा सकता है तथा सेवाकर, ब्याज दंड के संबंध में सर्विस की तिथि से 30 दिवस के अंदर सेवाकर, ब्याज

तथा इस प्रकार की घटायी दंड का भुगतान किया। नोटिस की सर्विस के चरण पर घटायी दंड के लिए इस प्रकार के प्रावधान को पहले धारा 78 में प्रदान नहीं किया है।

धारा 76 तथा धारा 78 के प्रावधान की तुलना नीचे सारणी में दी गयी :

| क्रम संख्या | धारा 76 | धारा 78 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | दंड गैर-धोखाधड़ी मामले में सेवाकर का गलत भुगतान अथवा कम/न लगाना अथवा कम/गैर-भुगतान के लिए लगेगा जहां पर नोटिस को धारा 73(1) के अन्तर्गत सर्व किया। | दंड धोखाधड़ी के कारण सेवाकर का गलत भुगतान अथवा कम/न लगाना अथवा कम/न लगाना के लिए लगेगा जहां पर नोटिस को धारा 73(1) के उपबंध के अंदर नोटिस को सर्व किया। |
| 2. | दंड = इस प्रकार का सेवाकर का 10% तक | दंड = सेवाकर का 10% |
| 3. | कोई दंड भुगतानयोग्य नहीं यदि सेवाकर तथा ब्याज का भुगतान नोटिस की सर्विस की तिथि से 30 दिवस के अंदर भुगतान किया तथा इस प्रकार सेवाकर, ब्याज के संबंध में कार्यवाही को पूर्ण माना जायेगा। | भुगतानयोग्य सेवाकर 15% तक घट जायेगा यदि सेवाकर, ब्याज तथा साथ में घटे हुए दंड का भुगतान नोटिस की सर्विस की तिथि के अंदर भुगतान किया तथा इस प्रकार की घटे हुए दंड का भुगतान केंद्रीय उत्पाद अधिकारी के आदेश की तिथि से 30 दिवस के अंदर कर दिया। |
| 4. | दंड आदेश में लिप्त दंड का 25% तक कम हो जायेगा यदि केंद्रीय उत्पाद अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर कम शुल्क का भुगतान किया। | भुगतानयोग्य दंड को आदेश में निर्धारित सेवाकर का 25% तक कम किया जाता है यदि सेवाकर, ब्याज तथा इस प्रकार घटे हुए दंड का भुगतान केंद्रीय उत्पाद अधिकारी के आदेश के 30 दिवस के अंदर किया जाय। |
| 5. | जहां पर दंड को अपीलीय प्राधिकरण में बढ़ाया है, इस प्रकार के दंड की बड़ी राशि के संबंध में घटायी दंड के संबंध में घटायी दंड (25% दंड) का लाभ उपलब्ध होगा तथा 30 दिवस की अवधि अपीलीय आदेश की तिथि से गिनी जायेगी। | जहां पर सेवाकर अथवा दंड को अपीलीय कार्यवाही में बढ़ा दिया गया, इस प्रकार की सेवाकर के संबंध में बढ़ी हुई राशि के संबंध में घटायी दंड (25% दंड) का लाभ उपलब्ध होगा तथा 30 दिवस की अवधि अपीलीय आदेश की तिथि से गिनी जायेगी। |

8. (i) मुद्दा क्या एक करनिर्धारि (इस मामले में सेवा प्राप्तकर्ता सेवा प्रदानकर्ता द्वारा उगाहा बिल के विरुद्ध किया भुगतान से कटौती द्वारा सेवा प्रदानकर्ता को सेवाकर के भाग को शिफ्ट कर सकता है *Rashtriya Ispat Nigam Ltd. v. Dewan Chand Ram Saran 2012 (26) STR 289* के मामले में उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन मामला।

सेवाकर दायित्व की शिफ्टिंग के मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवाकर अप्रत्यक्ष कर है जिसको शिफ्ट किया जा सकता है। इसलिए करनिर्धारि अपने दायित्व को शिफ्ट करने के लिए संविदा कर सकता है। वित्त अधिनियम, 1994 केवल करनिर्धारि तथा कर प्राधिकरण के मध्य प्रासंगिक है तथा सेवा प्रदानकर्ता तथा सेवा प्राप्तकर्ता के मध्य अधिकार तथा दायित्व जैसा उनके मध्य एक संविदा में सहमति हुई, के निर्धारण में अप्रासंगिक है। कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें उनके मध्य संविदा के अन्तर्गत उत्पन्न कर के भार के संबंध में समझौता में प्रवेश करने से रोकता है।

इसलिए, संविदात्मक समझौते के कारण जो वर्णित करता है कि A ने सभी कर का वहन किया कि B (सेवाकर के अन्तर्गत करनिर्धारि) श्री A द्वारा उगाहा बिल से उसकी कटौती द्वारा श्री A को उसके द्वारा भुगतानयोग्य सेवा के भार को शिफ्ट कर सकता है।

- (ii) इस स्थिति में मुद्दा है क्या संविदात्मक समझौता जो वर्णित करता है कि सेवाकर का वहन करनिर्धारि के अतिरिक्त एक व्यक्ति (इस मामले में सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जायेगा) सेवाकर दायित्व के निर्वाहन के दायित्व को इस प्रकार के अन्य व्यक्ति को भी शिफ्ट किया जायेगा।

हाल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी प्रकार के मुद्दे को *Delhi Transport Corporation v. CST 2015 (038) STR 673 (Del)* के मामले में डील किया। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवाकर भाग को अन्य पक्ष से संविदात्मक व्यवस्था द्वारा अंतरित किया जा सकता है, वैधानिक रूप से सेवा प्रदानकर्ता को सेवाकर दायित्व का निर्वाहन करना होगा तथा करनिर्धारि राजस्व को तृतीय पक्ष से कर को वसूलने के लिए अथवा इसके द्वारा ठेकेदार से राशि को वसूल करने तक करनिर्धारि द्वारा दायित्व का निर्वाहन का इंतजार करने के लिए कह नहीं सकता।

क्योंकि दिये गये मामले में, सेवा प्रदानकर्ता (श्री B) करनिर्धारि है, निर्णय तदनुसार उस पर लागू होगा। इसलिए B राजस्व को श्री A से सेवाकर के भुगतान के लिए नहीं कर सकता। यद्यपि श्री B श्री A को करदायित्व को शिफ्ट करने के लिए संविदा कर सकता है, पंजीकरण लेने, सेवाकर का भुगतान तथा सेवाकर विवरणी को फाइल करने का उत्तरदायित्व B का है तथा न कि श्री A का।

9. वस्तु के उपयोग के अधिकार का अंतरण के बिना किराया, पट्टा, लाइसेंस अथवा किसी अन्य तरीके में वस्तु का अंतरण सेवाकर को दायी घोषित वस्तु है (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(b)। यद्यपि नकद, आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी अन्य उद्देश्य (चाहे निर्दिष्ट अवधि के लिए है अथवा नहीं) के लिए किसी वस्तु का उपयोग के अधिकार का अंतरण वेट/केंद्रीय बिक्री कर के लिए दायी मानी गई बिक्री है।

वस्तु के उपयोग के अधिकार का अंतरण एक मान्यता प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अवधारणा है। पट्टा, लाइसेंस अथवा किराया आधार पर वस्तु के प्रत्येक अंतरण का परिणाम वस्तु के उपयोग में अंतरण नहीं हो सकता। "वस्तु के अधिकार का अंतरण" में *State of Andhra Pradesh vs Reshling Ispat Nigam* के मामले में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में इस प्रकार की वस्तु के ऊपर प्रभावी नियंत्रण तथा ग्रहण का अंतरण लिप्त है अपने आप में इस प्रकार की वस्तु का उपयोग की अनुमति के साथ अमानत का अंतरण, ग्रहण तथा प्रभावी नियंत्रण की तरफ अंतरण को नहीं ले जाता।

उच्चतम न्यायालय ने *BSNL v. UOI 2006 (2) STR 161 (SC)* के मामले में क्या सौदा में वस्तुओं के उपयोग का अंतरण लिप्त है, के निर्धारण के लिए निम्न टेस्ट को रखा है :

- सुपुर्दगी के लिए वस्तु उपलब्ध है;
- वस्तु की पहचान के रूप में एक मत *ad idem* होना चाहिए;
- अंतरणी का वस्तु के उपयोग का कानूनी अधिकार होना चाहिए परिणामतः इस प्रकार के उपयोग के सभी कानूनी परिणाम जिसमें उनके लिए आवश्यक अनुमति अथवा लाइसेंस की आवश्यकता है अंतरणी को उपलब्ध होनी चाहिए;
- अवधि जिसके लिए अंतरणी का कानूनी अधिकार है, इसका अंतरणकर्ता का अलगाव होगा – यह विधान की साधारण भाषा का आवश्यक सहवर्ती है, अर्थात् उपयोग के अधिकार का अंतरण तथा न कि वस्तु के उपयोग का लाइसेंस;
- अंतरित कर, स्वामी फिर से उसी अधिकार को अन्य को अंतरित नहीं कर सकता।

क्या सौदा उपयोग के अधिकार का अंतरण है अथवा नहीं, का निर्धारण समझौते में विशेष शब्द अथवा वाक्य के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझौते को सौदे की प्रकृति का निर्धारण के लिए समस्त में पढ़ा जाये।

उदाहरण :

- (1) एक विशेष परियोजना में उपयोग के लिए *excavators, wheel loaders*, जैसे उपकरण की आपूर्ति, जहां पर व्यक्ति जिसे यंत्र की आपूर्ति की है, इस प्रकार के उपकरण के उपयोग का तरीका, एक निर्दिष्ट समय के पश्चात् इस प्रकार के यंत्र की अनुरक्षण तथा देखभाल से संबंधित संविदा में इस शर्त के तहत है। सौदा में इस प्रकार के यंत्र का उपयोग का अधिकार का अंतरण लिप्त नहीं है

क्योंकि समझौता की शर्त में इस प्रकार के यंत्र के ऊपर ग्रहण तथा प्रभावी नियंत्रण को अंतरित नहीं किया गया चाहे कस्टडी को इस प्रकार के यंत्र के उपयोग के लिए अनुमति के साथ अंतरित किया जा सकता है। प्राप्तकर्ता किसी तरीके में इस प्रकार का यंत्र उपयोग के लिए स्वतंत्र है, जैसा वह पसंद करता है तथा इस प्रकार के यंत्र के उपयोग तथा नियंत्रण पर शर्त लगाई है।

- (2) *बैंक लॉकर्स का किराया पर लेना* : सौदा में वस्तु के उपयोग का अधिकार में लिप्त नहीं है क्योंकि लॉकर्स का ग्रहण किरायादार को अंतरित नहीं किया जाता चाहे लॉकर्स की वस्तु किरायादार के ग्रहण में है।

10. श्री P की करयोग्य सेवा का मूल्य तथा सेवाकर दायित्व की गणना

| विवरण | (₹ लाख में) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए प्राप्त राशि [नोट 1] | शून्य |
| अंशों में लेन-देन के लिए प्राप्त राशि [नोट 1] | शून्य |
| क्लीयरिंग तथा फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए कमीशन [नोट 2] | 18.25 |
| अन्य से संबंधित वस्तुओं की बिक्री पर अर्जित कमीशन [नोट 2] | 1.75 |
| वस्तु फ्यूचर से संबंधित सहायक सेवा को प्रदान करने के लिए प्रभार [नोट 2] | <u>7.00</u> |
| करयोग्य सेवा का मूल्य | 27.00 |
| उस पर 14% की दर से भुगतानयोग्य सेवाकर | 3.78 |

नोट :

- वस्तुओं का लेनदेन (Trading) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(e) के अन्तर्गत सेवा की नकारात्मक सूची में कवर है तथा इसलिए सेवाकर के लिए दायी नहीं है। धारा 65B(25) के अन्तर्गत वस्तु की परिभाषा में "प्रतिभूति" सम्मिलित है तथा धारा 65B(43) के अन्तर्गत प्रतिभूति की परिभाषा में अंश सम्मिलित है।
- क्लीयरिंग तथा फॉरवर्डिंग एजेंट अथवा आढ़ती द्वारा प्रदान सेवा वस्तु के लेनदेन में सम्मिलित नहीं है। यह वस्तु की लेनदेन के लिए सहायक है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66F(1) के प्रावधान के संदर्भ में, एक सेवा के संदर्भ में इस प्रकार की सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त सेवा का संदर्भ सम्मिलित नहीं है।

आगे, इस प्रकार वस्तु में टाइटल इस प्रकार के एजेंट को पास कभी नहीं होता है, वस्तु के लेनदेन की परिधि के अंदर आता है। सेवा का कराधान पर CBEC की शैक्षिक मार्गदर्शिका। [सेवा का कारधान पर CBEC की शिक्षण मार्गदर्शिका की पैरा 45]

एजेंट द्वारा प्रदान सेवा कमोडिटी फ्यूचर से संबंधित सहायक सेवा वस्तु की लेनदेन से संबंधित नकारात्मक सूची से कवर नहीं है। [सेवा का कराधान पर CBEC की शिक्षण मार्ग दर्शिका पैरा 4.54)]।

11. Hotel Beach Glory की करयोग्य सेवा का मूल्य तथा भुगतानयोग्य सेवाकर की गणना

| विवरण | लाख ₹ | लाख ₹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| वातानुकूलित सुविधा के साथ रेस्त्रां में भोजन सेवा सेवा का मूल्य 40% की दर से [नोट 1] | 3,00,000 | 1,20,000 |
| कांफ्रेंस के आयोजन के लिए कंवेंशन सेंटर फीस किराया के साथ भोजन की आपूर्ति घटायें : 30% की दर से छूट [नोट 2] | 2,80,000 <u>84,000</u> | 1,96,000 |
| ₹ 2500 प्रति कमरा प्रति दिवस का घोषित टैरिफ के साथ होटल का किराया घटायें : 40% की दर से छूट [नोट 3] | 1,20,000 <u>48,000</u> | 72,000 |
| CBSE में जुड़े उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रदान खानपान सेवा | | Nil |
| अभियांत्रिकी परीक्षा के लिए छात्र तैयार करने वाले कोचिंग संस्था को प्रदान खान-पान सेवा 60% की दर से सेवा का मूल्य [नोट 5] | 1,50,000 | 90,000 |
| करयोग्य सेवा का मूल्य | | 4,78,000 |
| 14% की दर से सेवाकर भुगतानयोग्य | | 66,920 |

नोट :

- एक गतिविधि जो मानव उपयोग का भोजन अथवा कोई वस्तु अथवा कोई पेय है (चाहे मादक है अथवा नहीं) में सेवा भाग का मूल्य को रेस्त्रां में गतिविधि के भाग के रूप में किसी तरीके में आपूर्ति की जाती है, इस प्रकार की आपूर्ति के लिए वसूल कुल राशि का 40% है यदि करयोग्य सेवा का प्रदानकर्ता के केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 का अध्याय 1 से 22 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य वस्तु पर भुगतान शुल्क का सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया [सेवाकर (मूल्य का निर्धारण) नियम, 2006 का नियम 2C]।
- एक परिपत्र जिसके किराया के साथ एक समारोह के आयोजन के लिए कंवेंशन सेंटर सम्मिलित है, की इस परिसर का किराया सहित मानव उपयोग की भोजन की आपूर्ति अथवा पेय के जरिये बंडल सेवा का मामले में 30% की छूट उपलब्ध है, यदि करयोग्य सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम

का अध्याय 1 से 22 के अन्तर्गत वर्गीकरण योग्य किसी वस्तु पर सेनवेट क्रेडिट को सेनवेट क्रेडिट नियम, 2000 के प्रावधान के अन्तर्गत नहीं लिया [अधिसूचना संख्या 26/2012 ST दिनांक 20.06.2012]।

3. आवासीय अथवा ठहरने के उद्देश्य के लिए एक होटल, सराय, अतिथि गृह क्लब, कैम्प साइट कोई भी नाम देवें, के द्वारा सेवा जिसका ठहरने की एक यूनिट का घोषित टैरिफ ₹ 1000 प्रति दिवस अथवा समतुल्य से नीचे का घोषित टैरिफ अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के जरिये सेवा कर से विमुक्त है। क्योंकि इस मामले में घोषित टैरिफ ₹ 2500 है, यह विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है। यद्यपि होटल का किराया के मामले में अधिसूचना संख्या 26/2012 ST दिनांक 20.06.2012 के जरिये 40% की छूट उपलब्ध है, यदि करयोग्य सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा पूँजी वस्तु पर सेनवेट क्रेडिट को सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 का प्रावधान के अन्तर्गत नहीं लिया।
4. खान-पान के जरिये शिक्षण संस्थान को प्रदान सेवा सेवाकर से विमुक्त है। शिक्षण संस्थान का अर्थ वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66D(1) में निर्दिष्ट सेवा को प्रदान करने वाले संस्थान से है [अधिसूचना संख्या 25/2012 ST दिनांक 20.06.2012] समय के प्रभाव में किसी कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के भाग के रूप में उच्चतर माध्यमिक अध्याय तथा शिक्षा तक शिक्षा के जरिये सेवा को धारा 66D(1) के अन्तर्गत सेवा की नकारात्मक सूची कवर्ड है। इसलिए, CBSE से जुड़ा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विमुक्ति के उद्देश्य के लिए पात्र शिक्षण संस्थान होगा, अभियांत्रिकी परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना विमुक्ति के लिए पात्र नहीं है क्योंकि किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्रदान नहीं करता।
5. बाहरी खान-पान सेवा में सेवा का भाग का मूल्य जो मानव उपयोग की भोजन अथवा किसी वस्तु अथवा पेय (मादक है अथवा नहीं) को इस प्रकार के बाहरी खानपान के भाग के रूप में आपूर्ति की जाती है, इस प्रकार की आपूर्ति के लिए वसूल राशि का 60% है। यदि करयोग्य सेवा का प्रदानकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम, 1985 की अध्याय 1 से 22 के अन्तर्गत वर्गीकरणयोग्य वस्तु पर भुगतान शुल्क का सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया [सेवाकर (मूल्य करनिर्धारण) नियम का नियम 2C]।

12. Omega Pvt. Ltd. की करयोग्य सेवा का मूल्य तथा सेवाकर दायित्व के मूल्य की गणना

| विवरण | ₹ |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| सॉफ्टवेयर की ऑनसाइट डेवलपमेंट [नोट 1] | 80,000 |
| CD पर प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर से संबंधित मामलों पर सलाह, परामर्श तथा सहायता | शून्य |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| सॉफ्टवेयर का कस्टमाइज डेवलपमेंट तथा CD पर उसकी सुपुर्दगी [नोट 4] | 20,000 |
| उपयोग के अधिकार के अंतरण के बिना प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर का लाइसेंस प्रदान करना [नोट 5] | 1,00,000 |
| अंतिम उपयोग के लिए सीमा के साथ प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर के उपयोग का लाइसेंस प्रदान करना | 60,000 |
| सेवाकर सहित करयोग्य सेवा का मूल्य | 2,50,000 |
| सेवा के करयोग्य का मूल्यांकन सेवाकर सहित | 5,10,000 |
| करयोग्य सेवा का मूल्य (सेवाकर रहित) (राउंड ऑफ) | 4,47,368 |
| 14% की दर से सेवाकर $\left(5,10,000 \times \frac{14}{114}\right)$ (राउंड ऑफ) | 62,632 |

नोट :

1. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(d) के अन्तर्गत घोषित सेवा है तथा इसलिए सेवाकर के लिए दायी है।
2. प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर जिसे मीडिया पर रखा है वस्तुओं की प्रकृति में है [Tata Consultancy Services v. State of Andhra Pradesh 2002 (178) ELT 22 (SC)]. CD पर रखी प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर इसलिए वस्तु की बिक्री की प्रकृति में है तथा सेवाकर के लिए दायी नहीं है।
3. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सलाह, परामर्श तथा सहायता धारा 66E(d) के अन्तर्गत कवर नहीं है, इस प्रकार की गतिविधि को जब एक अन्य प्रतिफल के लिए चलायी जा रही है, सेवा की परिभाषा के अंदर है अतएव सेवाकर से वसूली योग्य है।
4. इस प्रकार के मामले में यद्यपि सॉफ्टवेयर को अंततः वस्तु के स्वरूप में सुपुर्द किया क्योंकि संविदा अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर तथा डेवलपमेंट के लिए है, यह धारा 66E(d) के अन्तर्गत घोषित सूची में आता है तथा इसलिए सेवाकर के लिए दायी है।
5. उपयोग के अधिकार के अंतरण के बिना लाइसेंसिंग के जरिये वस्तु (यहां पर सॉफ्टवेयर) का अंतरण इस तरह की वस्तु सेवाकर के लिए दायी घोषित वस्तु है (वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66E(f)।
6. अंतिम उपयोग के लिए सीमा के साथ प्री-पैकेज सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए लाइसेंस को प्रदान करने का परिणाम संविधान का अनुच्छेद 366(29A) के अर्थ के अंदर सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार का अंतरण का परिणाम नहीं है। इसलिए यह फिर से धारा 66E(f) के अन्तर्गत घोषित सेवा के रूप में सेवाकर के लिए दायी होगा।

13. वित्त अधिनियम, 2015 ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 को संशोधित किया जो CESTAT के सम्मुख एक अपील को फाइल करने के लिए प्रावधान को निर्धारित करती है – यह प्रदान करने के लिए कि सेवाकर छूट में लिप्त मामले में आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध फाइल करनी होगी तथा न कि CESTAT के सम्मुख अपील में। संशोधन की चर्चा निम्न प्रकार है :

- (i) मार्गस्थ हानि, प्रोसेसिंग हानि, शुल्क में छूट अथवा शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात से संबंधित आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के संबंध में केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35EE के अनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकरण के पास पुनरीक्षण आवेदन को फाइल करना चाहिए। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की कुछ धारा को सेवाकर के संबंध में लागू होती है जैसे वह उत्पाद शुल्क पर लागू होती है। केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35EE इस तरह की एक धारा है जिसे वित्त अधिनियम, 2012 के जरिये सेवाकर पर लागू किया है।
- (ii) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अनुसार, धारा 35EE के प्रावधान की तर्ज पर, आयुक्त अपील द्वारा पारित एक आदेश के विरुद्ध CESTAT को अपील की जा सकती है। केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35E मार्गस्थ हानि, प्रोसेसिंग हानि, शुल्क की छूट अथवा शुल्क का भुगतान के बिना निर्यात के संबंध CESTAT को एक अपील करने से रोकता है। यद्यपि सेवाकर के अन्तर्गत धारा 86 में इस तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (iii) 14.05.2015 के प्रभाव से, वित्त अधिनियम, 2015 ने धारा 86 को संशोधित किया, जो प्रदान करता है कि सेवा जिसका निर्यात को किया को प्रदान करने में प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान शुल्क की छूट अथवा इनपुट सेवा पर सेवा कर की छूट में लिप्त एक मामले में आयुक्त (अपील) के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध समाधान केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 35EE के संदर्भ में आता है।

इसलिए, श्री T सेवाकर की छूट का खंडन करने वाले आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध CESTAT के साथ अपील फाइल नहीं कर सकता। इसके स्थान पर, उसे केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 की धारा 35EE के अन्तर्गत पुनरीक्षण प्राधिकरण के साथ पुनरीक्षण आवेदन को फाइल करना होगा।

14. वस्तुओं के संबंध में जिन्हें सेवा को प्रदान करने के लिए सेवा के प्रदानकर्ता को सेवा का प्राप्तकर्ता द्वारा भौतिक रूप से उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है, सेवा का प्रावधान का स्थान एक लोकेशन पर है जहां पर सेवा को वास्तव में निष्पादित किया [स्थान के प्रावधान का सेवा नियम, 2012 नियम 4 का वाक्य (a) (इसके पश्चात् POPS नियम के रूप में संदर्भित किया।)]

यद्यपि, उक्त वाक्य वस्तु जिन्हें मरम्मत के लिए भारत में अस्थायी रूप से आयातित किया है तथा उसको जिसकी इस प्रकार की मरम्मत के लिए आवश्यक के अतिरिक्त करयोग्य क्षेत्र में उपयोग में लाये बिना मरम्मत के पश्चात् निर्यात के संबंध में प्रदान

सेवा के मामले में लागू नहीं है। इस प्रकार के मामले में, सेवा का प्रावधान POPS नियम की सामान्य नियम 3 के द्वारा निर्धारित होगा अर्थात् सेवा प्राप्तकर्ता की लोकेशन।

दिये गये मामले में, क्योंकि वस्तु को ABC Fabricators द्वारा अस्थायी रूप से आयातित किया तथा गुजरात (करयोग्य क्षेत्र) में किसी उपयोग किये बिना मरम्मत के पश्चात् पुनःनिर्यात किया। ABC Fabricators द्वारा चलायी जा रही मरम्मत सेवा का प्रावधान का स्थान POPS नियम का नियम 3 द्वारा निर्धारित किया जायेगा। परिणामतः सेवा का प्रावधान का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता यानी चीन की लोकेशन होगी;

यदि मरम्मत की गई वस्तु को उपयोग के पश्चात् पुनःनिर्यात किया, सेवा का प्रावधान का स्थान का निर्धारण POPS नियम की नियम 4(a) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा यदि उपयोग जहां पर वस्तु को मरम्मत के लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मामले में सेवा का प्रावधान का स्थान लोकेशन होगी। जहां पर सेवा को वास्तव में निष्पादित किया, जो दिये गये मामले में गुजरात है। यदि उपयोग इस प्रकार की प्रकृति का है जो मरम्मत के लिए चलाया जाता है, सेवा का प्रावधान का स्थान का निर्धारण POPS नियम के नियम 3 के अनुसार होगा।

15. सेवाकर नियम, 1994 के नियम 6(4A) के अनुसार, जहां पर करनिर्धारी ने केंद्रीय सरकार के खाते में एक माह अथवा त्रैमासिक जैसा भी मामला है, के लिए सेवाकर दायित्व की तरफ भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक राशि का भुगतान किया, करनिर्धारी बाद के माह अथवा त्रैमासिक जैसा भी मामला है के लिए उसके सेवाकर दायित्व के विरुद्ध उसके द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि को समायोजित कर सकता है।

यद्यपि नियम 6(4B) व्यवस्था करता है कि उसके द्वारा भुगतान की गई अधिक राशि का स्वयं समायोजन इस शर्त के साथ होगा कि आधिक्य राशि का भुगतान कानून की व्याख्या, करयोग्यता, मूल्यांकन अथवा किसी विमुक्ति अधिसूचना के लागू होने के कारण नहीं है।

क्योंकि दिये गये मामले में, श्री X द्वारा राशि का आधिक्य भुगतान के कारण में कानून की व्याख्या, करयोग्यता, मूल्यांकन अथवा किसी विमुक्ति अधिसूचना का लागू होना लिप्त नहीं है, वह बाद के त्रैमासिक के लिए अपने सेवाकर दायित्व के विरुद्ध ₹ 20,000 के आधिक्य भुगतान को समायोजित कर सकता है।

अचल सम्पत्ति का किराया के मामले में, अचल सम्पत्ति के संबंध में भुगतान सम्पत्ति कर की कटौती की अधिसूचना संख्या 29/2012 ST dated 20.06.2012 के जरिये उक्त अचल सम्पत्ति के किराया के लिए सकल राशि के लिए स्वीकृत है।

यद्यपि, जहां पर इस प्रकार की कटौती की गैर-प्राप्ति के कारण सेवाकर दायित्व की तरफ भुगतान के लिए आवश्यक राशि से अधिक का भुगतान किया है, इस प्रकार की आधिक्य राशि को इस प्रकार की सम्पत्ति कर के भुगतान की तिथि से 1 वर्ष के अंदर सेवाकर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। इस प्रकार का समायोजन

के विवरण को इस प्रकार के समायोजन की तिथि से 15 दिवस की अवधि के अंदर सेवा प्रदानकर्ता के ऊपर न्याय क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय उत्पाद के अधीक्षक को सूचित किया जायेगा।

अतएव, श्री X सम्पत्ति कर के भुगतान की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अपने सेवा करदायित्व के विरुद्ध सम्पत्ति कर की तरफ कटौती की गैर-प्राप्ति के कारण भुगतान आधिक्य राशि का भुगतान कर सकता है।

16. निर्धारणयोग्य मूल्य तथा भुगतान योग्य सीमा शुल्क

| विवरण | US \$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| निर्यातक की फ़ैक्टरी पर मशीन की लागत | 20,000 |
| बंदरगाह तक परिवहन प्रभार | 750 |
| बंदरगाह पर हैंडलिंग | 100 |
| FOB | 20,850 |
| FOB मूल्य ₹ 60/- प्रति \$ की दर भारतीय रुपए में [नोट 1] | 12,51,000.00 |
| भारत तक भाड़ा प्रभार [US \$ 5,000 x ₹ 60] | 3,00,000.00 |
| आयातक के द्वारा भुगतान लाइटरैज प्रभार [नोट 2] | 15,000.00 |
| जहाज विलम्ब शुल्क (demurrage) [नोट 2] | 21,000.00 |
| FOB का 1.125% की दर से बीमा प्रभार | 14,073.75 |
| CIF | 16,01,073.75 |
| जोड़ें : लैंडिंग प्रभार CIF की 1% की दर से [नोट 3] | 16,010.74 |
| निर्धारणयोग्य मूल्य | 16,17,084.49 |
| जोड़ें : 10% की दर से मूल्य सीमा शुल्क 10% की दर से [नोट 6] [a] | 1,61,708.45 |
| योग | 17,78,792.94 |
| जोड़ें : [a + b] का 3% की दर से शिक्षण उपकर [2% शिक्षण उपकर + 1% माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर, (c)] | 2,22,349.12 |
| योग (d) | 20,01,142.06 |
| उपरोक्त (d) का 4% की दर से कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क (e) [नोट 7] | 11,521.73 |
| Total [d] | 20,12,663.79 |
| Additional duty u/s 3(5) of Customs Tariff Act, 1975 @ 4% of (d) above [e] [Note 7] | 80,506.55 |
| भुगतानयोग्य कुल सीमा शुल्क [(a) + (b) + (c) + (e)] | 4,76,085.85 |
| भुगतानयोग्य कुल सीमा शुल्क (नजदीकी रुपये तक राउंड ऑफ) | 4,76,086.00 |

नोट :

- (1) प्रवेश की बिल की प्रस्तुतीकरण की तिथि पर CBEC द्वारा अधिसूचित विनिमय दर को विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए माना जाता है [कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 14 का स्पष्टीकरण]।
 - (2) आयातित वस्तु की परिवहन की लागत में लाइटरैज प्रभार तथा जहाज विलम्ब शुल्क सम्मिलित है [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम 2001 का नियम 10(2) का स्पष्टीकरण]।
 - (3) बीमा प्रभार यदि ज्ञात योग्य नहीं है, को FOB मूल्य का 1.125% की दर से सम्मिलित किया जायेगा। लैंडिंग प्रभार को वस्तु CIF मूल्य का 1% की दर से सम्मिलित किया जायेगा [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 का नियम 10 का प्रथम उपबंध का वाक्य (iii) तथा (ii)]।
 - (4) क्रय कमीशन को निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित नहीं किया [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 का नियम 10(1)(a)(i)]।
 - (5) आयात का स्थान तक केवल भाड़ा निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित करने योग्य है इसलिए, प्रवेश का बंदरगाह से अन्तर्देशीय कण्टेनर डिपो से उत्पन्न भाड़ा कर निर्धारणयोग्य मूल्य में सम्मिलित करने योग्य नहीं है [कस्टम मूल्यांकन (आयातित वस्तु का मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 की नियम 10(2) का चतुर्थ उपबंध]।
 - (6) शुल्क की दर प्रवेश की बिल की प्रस्तुति की तिथि पर प्रचलित दर अथवा एंट्री इनवार्ड की तिथि पर प्रचलित दर जो भी बाद में है [कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 15]।
 - (7) शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर कस्टम टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अन्तर्गत लगने वाला विशेष अतिरिक्त शुल्क पर नहीं लगेगा।
- 17.** अग्रिम आदेश को कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 28E(C) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। 'आवेदक' को धारा 28E(c)(iii) के अन्तर्गत परिभाषित किया है जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों की इस प्रकार की श्रेणी अथवा वर्ग में आने वाला व्यक्ति जैसा केंद्रीय सरकार राजकीय राजपत्र में इस संदर्भ में निर्दिष्ट करे तथा जो धारा 28H(i) के अन्तर्गत अग्रिम आदेश के लिए आवेदन करता है।
- पहले, सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां, निवासी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी तथा निवासी निजी लिमिटेड कम्पनियों को निवासी व्यक्तियों की श्रेणी अथवा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया था जो सीमा शुल्क से संबंधित अग्रिम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- 01.03.2015 के प्रभाव से, निवासी व्यक्तियों की श्रेणी अथवा वर्ग का स्कोप जो सीमा शुल्क से संबंधित अग्रिम आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, को इस वर्ग के अंदर निवासी फर्म को कवर करने के लिए अधिसूचना संख्या 27/2015 Cus (NT) दिनांक 01.03.2015 के जरिये बढ़ाया है। इस उद्देश्य के लिए फर्म की परिभाषा में 'एकल

स्वामित्व' भी सम्मिलित है तथा एकल स्वामित्व का अर्थ एक व्यक्ति है जो स्वयं को एक निर्यात अथवा आयात की गतिविधि में लिप्त करता है। एक स्वामित्व को एक अग्रिम आदेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(42) के अनुसार निवासी का टेस्ट संतुष्ट करना होगा।

इसलिए Safe and Super Importers जो एक निवासी एकल स्वामित्व फर्म है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28E(c)(ii) के अन्तर्गत अग्रिम आदेश के लिए पात्र है।

आगे, अग्रिम आदेश की मांग केवल कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 28H(2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट मामलों के लिए की जा सकती है तथा वर्गीकरण एक इस तरह का मामला है। यद्यपि धारा 28-1(2) का उपबंध रखता है कि अग्रिम आदेश की मांग नहीं की जा सकती जहां पर उठाया गया प्रश्न है।

(a) पहले से किसी कस्टम अधिकारी, अपीलीय अधिकरण अथवा न्यायालय के सम्मुख आवेदक के मामले में लंबित है।

(b) वही जिसका पहले निर्णय अपीलीय अधिकरण अथवा किसी न्यायालय में हो गया है।

क्योंकि दिये गये मामले में Safe & Super Importers द्वारा उठाया जाने वाले प्रश्न का निर्णय पहले CESTAT ने कर दिया है, इसके द्वारा अग्रिम आदेश की मांग नहीं की जा सकती, इसके बावजूद कि यह एक मुद्दे पर अग्रिम आदेश को प्राप्त करने के लिए पात्र है।

18. (a) कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर ड्राबैक नियम का नियम 7 के अन्तर्गत, जब शुल्क ड्राबैक की दर भुगतान शुल्क, कर की 4/5 से कम है, निर्माता/निर्यातक एक विशेष ब्रांड दर को निश्चित करने के लिए आवेदन कर सकता है। यद्यपि विशेष ब्रांड दर के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता जहां पर नियम 3 अथवा नियम 4 के अन्तर्गत ड्राबैक के लिए पहले ही दावा किया है। अन्य शब्दों में, जहां पर निर्यातक ने पहले ही अखिल उद्योग दर (AIR) शेड्यूल के अन्तर्गत ड्यूटी ड्राबैक दावा को फाइल किया है, वह ड्राबैक की विशेष ब्रांड दर को निश्चित करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है।

इसलिए इस मामले में, क्योंकि Xavier Export ने अखिल उद्योग दर (AIR) के अन्तर्गत ड्यूटी ड्राबैक दावा को फाइल किया, यह विशेष ब्रांड दर को निश्चित करने की प्रार्थना नहीं कर सकता है।

- (b) चोरी वस्तु तथा गुम अथवा नष्ट वस्तु को कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत भिन्न ढंग से माना जाता है। जबकि चोरी वस्तु से संबंधित प्रावधान को धारा 13 में डील किया जाता है, गुम अथवा नष्ट वस्तु से संबंधित प्रावधान को धारा 23(1) के अन्तर्गत कवर किया है।

धारा 13 रखता है कि यदि किसी आयातित वस्तु को उतराई के पश्चात् तथा उपयुक्त अधिकारी द्वारा गृह उपभोग के लिए क्लीयरेंस का आदेश करने के पूर्व अथवा वेयरहाउस में जमा करने पूर्व चोरी की जाती है, आयातक इस प्रकार की वस्तु पर लगने वाले शुल्क के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा सिवाय जहां पर वस्तु चोरी के पश्चात् उसे वापस कर दी है।

धारा 23(1) प्रदान करती है कि धारा 13 के प्रावधान के पूर्वाग्रह के बिना जहां पर सहायक/उपायुक्त कस्टम की संतुष्टि में यह दिखाया गया है कि आयातित वस्तु गृह उपयोग के लिए क्लीयरेंस से पूर्व किसी समय पर गुम हो गयी है (चोरी के परिणाम के कारण नहीं) अथवा नष्ट कर दी है, सहायक/उपायुक्त कस्टम इस प्रकार की वस्तु पर शुल्क माफ कर देगा।

वस्तु के दो प्रकार से संबंधित प्रावधान को नीचे सारणीबद्ध किया है।

| | धारा 13 | धारा 23(1) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | चोरी वस्तु पर कोई शुल्क भुगतानयोग्य नहीं है जब तक वह आयातक को वापस न मिली हो। | शुल्क/गुम नष्ट वस्तु पर भुगतानयोग्य है परन्तु उसे कस्टम के सहायक आयुक्त द्वारा माफ किया। इसलिए, जब तक माफी न हो शुल्क का धारा 23(1) के अन्तर्गत भुगतान करना होगा। |
| 2. | हानि केवल चोरी के कारण होनी चाहिए। | गुम/नष्टीकरण अग्नि, बाढ़ इत्यादि के कारण हो सकता है, परन्तु चोरी के कारण नहीं उदाहरणतः रिसाव के कारण होगी। |
| 3. | चोरी उतराई के पश्चात् परन्तु गृह उपभोग अथवा वेयरहाउसिंग के लिए क्लीयरेंस के आदेश के पूर्व होनी चाहिए। | गुम अथवा नष्टीकरण गृह उपभोग के लिए क्लीयरेंस से पूर्व किसी समय हो सकता है |
| 4. | वेयरहाउसिंग में चोरी की धारा 13 के अन्तर्गत मान्यता नहीं दी जाती। | वेयरहाउस में गुम/नष्टीकरण को धारा 23(1) के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है क्योंकि वेयरहाउस को अंतरित वस्तु गृह उपभोग के लिए क्लीयर नहीं की जाती। |
| 5. | आयातक को चोरी साबित करनी होती है। | गुम अथवा नष्टीकरण को साबित करने का भार आयातक पर है। |

19. उच्च न्यायालय ने *CCus. (Imports) v. Finesse Creation Inc. 2009 (248) ELT 122 (Bom.)* [maintained in *Commissioner v. Finesse Creation Inc. - 2010 (255) E.L.T. A120 (S.C.)*] में निर्णय दिया कि विमोचन जुर्माना केवल तब ही लगाया जा सकता है जब वस्तु उपलब्ध हो। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि वस्तु उपलब्ध नहीं, उन्हें जब्त नहीं किया जा सकता तथा परिणामतः विमोचन नहीं किया जा सकता। जब वस्तुओं को विमोचित नहीं किया जा सकता, विमोचन जुर्माना को लगाया नहीं जाता।

यद्यपि, जब वस्तु को अंतरिम रूप से छोड़ा, जब्ती संभव होगी क्योंकि छोड़ना अंतरिम है तथा आयातक शर्तिया ग्रहण को प्राप्त करता है तथा इसलिए कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 125 के अन्तर्गत विमोचन जुर्माना लगाया जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने *Weston Components Ltd. v. CC 2000 115 ELT 278* के मामले में निर्णय दिया है कि ब्रांड के निष्पादन पर वस्तु को छोड़ना कस्टम प्राधिकरण के विमोचन जुर्माना लगाने के अधिकार को वापस नहीं लेता यदि वस्तुओं को छोड़ने के बाद आयात को वैध नहीं पाया अथवा अन्य अनियमितता है जो कस्टम प्राधिकरण का उक्त वस्तु को हकदार बनायेगा।

आगे, क्योंकि धारा 112 के अन्तर्गत दंड को लगाया जाता है, जब एक व्यक्ति किसी कार्यवाही को करता है अथवा करने से चूकता है जो धारा 111 के अन्तर्गत जब्ती के लिए वस्तु को दायी बनाता है, इस प्रकार दंड लगाया जा सकता है क्योंकि वस्तु की जब्ती औचित्य पूर्वक है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि धारा 112 के अन्तर्गत दंड लगाना महत्वहीन है, क्या वस्तु जब्ती के लिए उपलब्ध है अथवा नहीं क्योंकि उक्त दंड को लगाया जब वस्तु जब्ती के लिए दायी है।

20. (a) (i) **नहीं** : EOU को अनुमति के पत्र (LOP) इच्छा पत्र (Letter of Indent) को प्रदान करने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर उत्पादन को आरंभ करना चाहिए। अन्य शब्दों में, LOP/LOI की 2 वर्षों की आरंभिक वैधता है जिसके अंदर यूनिट को उत्पादन आरंभ करना चाहिए। उसकी वैधता सक्षम प्राधिकरण द्वारा 2 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। यद्यपि, चार वर्षों से आगे विस्तार का प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला पर अपवादपूर्वक परिस्थिति में विचार किया जायेगा।
- (ii) **नहीं** : यूनिट जो वस्तु तथा सेवा का समस्त उत्पादन (DTA में अनुमेय बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने का वचन देती है, मरम्मत, पुनःनिर्यात, पुनरुद्धार, पुनः अभियांत्रिकी सहित वस्तु का निर्माण तथा सेवा प्रदान करने के लिए EOU योजना के अन्तर्गत स्थापना कर सकती है।
- (b) भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट स्क्रीप का हकदार पात्र होने के लिए :
- (i) सेवा प्रदानकर्ता भारत में स्थित होना चाहिए।
- (ii) इसे निर्दिष्ट तरीके में केवल अधिसूचित सेवा प्रदान करनी चाहिए।
- (iii) इसकी इस प्रकार की सेवा जिसके लिए पुरस्कार का दावा किया है, को प्रदान करने के समय सक्रिय IEC होनी चाहिए।
- (iv) एक व्यक्ति सेवा प्रदानकर्ता/एकल स्वामित्व की गत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन US\$ 10,000 होना चाहिए तथा व्यक्ति/एकल स्वामित्व के अतिरिक्त सेवा प्रदानकर्ता का न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन US\$ 15,000 होना चाहिए।

यद्यपि XYZ Co. Ltd. के मामले में शर्त (i) से (iii) को पूरा किया जाता है, यह फिर भी SEIS के लिए पात्र नहीं है क्योंकि यह गत वित्तीय वर्ष में US\$ 15,000 की न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में विफल रही।

**मई, 2016 परीक्षा के लिए वित्त अधिनियम, निर्धारण
वर्ष आदि की प्रभावशीलता**

**प्रश्नपत्र 7 : प्रत्यक्ष कर विधान एवं प्रश्नपत्र 8 : अप्रत्यक्ष कर विधान
(PAPER 7 : DIRECT TAX LAWS & PAPER 8 : INDIRECT TAX LAWS)**

प्रत्यक्ष कर विधान (आयकर) एवं अप्रत्यक्ष कर विधान जिन्हें वित्त अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और 31 अक्टूबर, 2015 तक निर्गमित अधिसूचनाएं एवं परिपत्र आदि मई, 2016 की परीक्षा में लागू हैं। आयकर के लिए A.Y. 2016-17 प्रभावी होगा।

परिशिष्ट

पेपर I : वैधानिक अपडेट : अप्रत्यक्ष कर कानून
1 मई, 2015 से 31 अक्टूबर, 2015 के मध्य जारी महत्वपूर्ण
अधिसूचना तथा परीक्षण परिपत्र

भाग A : केंद्रीय उत्पाद

अध्याय 2 : उत्पाद योग्य वस्तु का वर्गीकरण

- 1. 200 मि. ली. तक छोटे कंटेनर्स में पैक नारियल तेल का व केश तेल का वर्गीकरण करने वाले परिपत्र का हटाना**

पहले, परिपत्र संख्या 890/10/2009 दिनांक 3.6.2009 ने स्पष्ट किया है कि 200 मि. ली. तक साइज के छोटे कंटेनर में पैक नारियल का तेल केंद्रीय उत्पाद टैरिफ शीर्ष 3305 के अन्तर्गत केश तेल के रूप में वर्गीकरण योग्य है।

यद्यपि, *Raj Oil Mills Ltd. v. CCE 2014 (314) ELT 541* (मुम्बई अधिकरण) [उच्चतम न्यायालय ने बनाये रखा] के मामले में यह निर्णय दिया गया कि 200 मि. ली. अथवा कम की खुदरा पैकिंग में खाद्य नारियल तेल अध्याय 15 पशु अथवा वनस्पति वसा तथा तेल के अंदर वर्गीकरण योग्य है तथा न कि अध्याय सौंदर्य तथा प्रसाधन तैयारी के अन्तर्गत।

आगे, *Capital Technologies Ltd. & Ors v. CCE 2015 (321) ELT 479* (अधिकरण बेंगलोर) [उच्चतम न्यायालय ने बनाये रखा] के मामले में भी यह निर्णय दिया गया कि 50 मि.ली., 100 मि.ली., 200 मि.ली. तथा 500 मि.ली. के खुदरा पैक में पैकड खाद्य नारियल तेल शीर्ष 1513 के अन्तर्गत नारियल तेल के रूप में वर्गीकरण योग्य तथा न कि शीर्ष 3305 के अन्तर्गत केश तेल के रूप में।

इसलिए उपरोक्त न्यायिक घोषणा के कारण परिपत्र संख्या 1007/14/2015 CE दिनांक 12.10.2015 के जरिये वापस ले लिया है। वर्गीकरण के मुद्दा का निर्णय न्यायिक घोषणा के साथ पढ़कर मामले के तथ्य पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

अध्याय 4 : सेनवैट क्रेडिट

- 1. जन शक्ति आपूर्ति/सुरक्षा सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदानकर्ता को नियम 5B के अन्तर्गत सेनवैट क्रेडिट की वापसी नहीं**

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 5B प्रदान करता है कि अधिसूचित रिवर्स प्रभार सेवा को प्रदान करने वाले सेवा प्रदानकर्ता जो इस प्रकार की आउटपुट सेवा पर सेवा कर का भुगतान के लिए इनपुट तथा इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को प्रयुक्त करने में असमर्थ रहता है, को इस प्रकार का अप्रयुक्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी की आज्ञा होगी।

इस संबंध में, पहले निम्न आंशिक रिवर्स प्रभार सेवा को अधिसूचित किया :

- (i) किसी व्यक्ति जो इस प्रकार के व्यापार में लिप्त नहीं है को गैरछूट मूल्य पर यात्रियों को ढोने के लिए डिजाइन मोटर वाहन का किराया;

- (ii) बिना उद्देश्य अथवा सुरक्षा सेवा के लिए जनशक्ति की आपूर्ति; अथवा
- (iii) वर्क्स ठेका की निष्पादन में सेवा भाग

01.04.2015 के प्रभाव से, किसी उद्देश्य अथवा सुरक्षा सेवा के लिए जनशक्ति की आपूर्ति के संबंध में सेवा कर पूर्ण रिवर्स प्रभार के आधार पर भुगतानयोग्य है, उक्त सेवा का सेवा प्रदानकर्ता इस प्रकार की आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान पर इनपुट तथा इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवैट क्रेडिट की वापसी के लिए पात्र नहीं होगा। आगे, वापसी का दावा के लिए फार्म A में आवेदन को आवश्यक रूप से संशोधित किया है।

उपरोक्त संशोधन 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है।

(अधिसूचना संख्या 15/2015 CE (NT), दिनांक 19.05.2015)

2. चीनी मौसम 2015-16 में गन्ना पिराई से सृजित गुड़ (शीरा) से उत्पादित इथनोल के मामले में नियम 6 के अन्तर्गत क्रेडिट की वापसी की आज्ञा नहीं है (सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 6(6) में डाला वाक्य (ix)

नियम 6 का उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) का प्रावधान चीनी मौसम 2015-16 अर्थात् 1 अक्टूबर, 2015 से अधिसूचना संख्या 12/2012CE, दिनांक 17.03.2012 के अन्तर्गत पेट्रोल का मिश्रण के उद्देश्य के लिए इंडियन ऑयल कम्पनी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अथवा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आपूर्ति के लिए गन्ना पिराई से सृजित शीरा में उत्पादित इथनोल पर लागू नहीं होगा।

इस प्रकार की निकासी के मामले में, यद्यपि इथनोल को शुल्क के भुगतान के बिना निकासी की है, इथनोल के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट/पूँजीगत वस्तु/इनपुट सेवा का सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त किया जा सकता है। आगे, जहां पर एक जैसे इनपुट/इनपुट सेवा को इथनोल तथा अन्य शुल्कयोग्य अंतिम उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया है, इथनोल की निकासी पर राशि का क्रेडिट का रिवर्सल अथवा राशि के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

(अधिसूचना संख्या 21/2015CE (NT), दिनांक 07.10.2015)

3. आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता को किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर (SHEC) के उपयोग की आज्ञा है {सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 की नियम 3(7)(b) में डाला 6वां, 7वां तथा 8वां उपबंध}

01.03.2015 से पहले, उत्पादयोग्य वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को सेनवैट क्रेडिट के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। आगे, 31.03.2015 तक करयोग्य सेवा पर शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को सेनवैट क्रेडिट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उत्पादयोग्य वस्तु अथवा करयोग्य सेवा पर भुगतानयोग्य शिक्षण उपकर के सिवाय किसी अन्य शुल्क के भुगतान के लिए उत्पादयोग्य वस्तु अथवा करयोग्य सेवा पर शिक्षण उपकर के क्रेडिट के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह, उत्पादयोग्य अथवा करयोग्य सेवा पर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर को उत्पादयोग्य सेवा अथवा करयोग्य सेवा पर भुगतानयोग्य

माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर के सिवाय किसी अन्य शुल्क के भुगतान के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता।

यद्यपि, करयोग्य सेवा पर लगने वाला शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर उपकर का 01.06.2015 से प्रभाव नहीं होगा। एक आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता को किसी आउटपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के लिए शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर के प्रयोग की आज्ञा दी है :

- (i) 01.06.2015 को अथवा उसके पश्चात् आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता के परिसर में प्राप्त इनपुट/पूँजी वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2014-15 में आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता की परिसर में प्राप्त पूँजीगत वस्तु पर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर का शेष 50% का क्रेडिट;
- (iii) 01.06.2015 को अथवा उसके पश्चात् आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा प्राप्त इन्वॉयस, बिल, चलान अथवा रेल द्वारा वस्तुओं का परिवहन के लिए सेवा कर प्रमाणपत्र के संबंध में इनपुट सेवा कर भुगतान शिक्षण उपकर तथा माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण उपकर का क्रेडिट।

(अधिसूचना संख्या 22/2015CE (NT), दिनांक 29.10.2015)

4. सेनवैट क्रेडिट नियम 2004 की नियम, 6(3)(i) के अन्तर्गत भुगतानयोग्य राशि को विमुक्त सेवा का मूल्य का 6% से 7% तक बढ़ाया

पहले, एक मामले में जहां पर एक आउटपुट सेवा प्रदानकर्ता कर से प्रभारयोग्य आउटपुट सेवा तथा विमुक्त सेवा प्रदान करता है, उसके पास पृथक् खाता को रखे बिना किसी इनपुट/इनपुट सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त सेनवैट को प्राप्त करने का विकल्प है बशर्ते उसमें विमुक्त सेवा का मूल्य का 6% का बराबर राशि का भुगतान किया है। (सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 6(3)(i))

01.06.2015 के प्रभाव से, सेवा कर की दर में 12% से 14% वृद्धि के कारण, उपरोक्त दर को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया। आगे, यदि करयोग्य सेवा के मूल्य के किसी भाग को इस शर्त पर विमुक्त कर दिया है कि इस प्रकार की करयोग्य सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवा का सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया जायेगा, नियम 6(3)(i) में निर्दिष्ट राशि को इस प्रकार विमुक्त मूल्य का 7% तक बढ़ाया।

(अधिसूचना संख्या 14/2015CE (NT), दिनांक 19.05.2015)

5. डीलर के जरिये मार्गस्थ बिक्री में सेनवैट क्रेडिट के संबंध में स्पष्टीकरण

डीलर के जरिये मार्गस्थ बिक्री में सेनवैट क्रेडिट के संबंध में स्पष्टीकरण यदि वस्तु को पंजीकृत डीलर के निर्देश पर किसी व्यक्ति को सीधा भेजा जाता है, इन्वायस में पंजीकृत डीलर की क्रेता के रूप में तथा व्यक्ति की प्रेषणी के रूप में पंजीकृत डीलर का विवरण समाहित होगा तथा वह व्यक्ति पंजीकृत डीलर के इन्वायस के आधार पर सेनवैट क्रेडिट

लेगा [नियम 11(2) का तृतीय उपबंध] आगे, यदि प्रवेश के बिल के कवर के अन्तर्गत वस्तु का आयात कर सीधे क्रेता के परिसर में भेजा जाता है, आयातक द्वारा जारी इन्वायस में वर्णित होना चाहिए कि वस्तु को सीधे आयात के स्थान अथवा बंदरगाह से क्रेता की परिसर में भेजा है [नियम 11(2) का चतुर्थ उपबंध]

इस संबंध में,

- (i) जहां पर पंजीकृत डीलर निर्माता/पंजीकृत आयातक से सीधे प्रेषण (Consignment) की बिक्री की सौदेबाजी करता है तथा प्रेषणी तक वस्तु का सीधा परिवहन का आदेश देता है, प्रेषणी द्वारा निर्माता अथवा पंजीकृत आयातक द्वारा जारी इन्वायस के आधार पर क्रेडिट को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के मामले प्रेषणी के पक्ष में पंजीकृत डीलर द्वारा कोई सेनवेटेबल इन्वायस जारी नहीं किया जायेगा चाहे वाणिज्यिक इन्वायस को जारी किया जा सकता है जहां पर पंजीकृत डीलर निर्माता अथवा आयातक से आर्डर किया कुल स्टॉक से बहु क्रेता से वस्तु की बिक्री की सौदेबाजी करता है तथा प्रेषणी तक वस्तु का परिवहन का आदेश देता है तथा निर्माता अथवा आयातक इस प्रकार की व्यक्तिगत बिक्री के लिए प्रेषणी के पक्ष में प्रत्येक बिक्री के लिए व्यक्तिगत इन्वायस को जारी करने का इच्छुक है, वही प्रक्रिया लागू रहेगी।
- (ii) जहां पर पंजीकृत डीलर एक निर्माता अथवा पंजीकृत आयातक से प्राप्त प्रेषण को विभक्त कर बिक्री की सौदेबाजी करता है तथा प्रत्येक बिक्री के लिए सेटेबल इन्वायस को जारी करता है, डीलर के लिए अपने गोदाम तक वस्तु को लाये बिना प्रेषणी को व्यक्तिगत बिक्री के अनुसार प्रेषण का प्रत्यक्ष परिवहन को आदेश देना संभव है। इस व्यापार को करने की सुविधा के साथ डीलर के लिए समय तथा परिवहन लागत बचेगी। यह नयी सुविधा जो संशोधित प्रावधान से प्रवाह होती है। नियम 11(2) के तृतीय उपबंध में निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार के मामलों में लागू होगी।
- (iii) जहां पर एक गैर पंजीकृत डीलर एक निर्माता अथवा पंजीकृत आयातक से समस्त प्रेषण की बिक्री की सौदेबाजी करता है तथा प्रेषणी तक वस्तु का प्रत्यक्ष परिवहन का आदेश देता है, प्रेषणी द्वारा क्रेडिट को निर्माता अथवा पंजीकृत आयातक द्वारा जारी इन्वायस के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि डीलर पंजीकृत नहीं है, उसके द्वारा सेनवेटेबल इन्वायस को जारी करने का प्रश्न नहीं है इस प्रकार के डीलर्स विगत में अपंजीकृत रह सकते हैं।
- (iv) जहां पर वस्तु को पंजीकृत आयातक द्वारा अंतिम उपयोगकर्ता (जैसे एक निर्माता) को बेचा जाता है जो आयातक के इन्वायस आधार पर क्रेडिट को प्राप्त करेगा तथा वस्तुओं को सीधे बंदरगाह से अथवा बंदरगाह पर वेयर हाउस से क्रेता की परिसर में सीधे परिवहन किया जाता है, संशोधन निर्धारित करता है कि इस प्रकार मूवमेंट के लिए क्रेता के परिसर तक सीधे परिवहन का इन्वायस में रिकार्ड करने की आवश्यकता है।

[परिपत्र संख्या 1003/10/2015 CX दिनांक 05.05.2015]

अध्याय 5 : केंद्रीय उत्पाद के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया

1. निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के तहत एल्यूमीनियम रूफिंग पेनल के निर्माता को स्वीकृत केंद्रीयकृत पंजीकरण

एल्यूमीनियम रूफिंग पेनल के निर्माण में लिप्त प्रत्येक निर्माणी इकाई निम्न शर्तों को पूरा होने के तहत केंद्रीय उत्पाद पंजीकरण को प्राप्त करने से विमुक्त है।

- (i) परियोजना का निष्पादन के लिए निर्माण की साइट पर इस प्रकार का रूफिंग पेनल का उपयोग किया तथा
- (ii) विभिन्न निर्माणी यूनिट के द्वारा निर्मित इस प्रकार की वस्तु के संबंध में इस प्रकार की वस्तु के निर्माता का केंद्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखांकन सिस्टम है तथा वह केवल परिसर अथवा कार्यालय के पंजीकरण को चुनता है जहां पर केंद्रीयकृत बिलिंग अथवा लेखांकन किया।

*केंद्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम 1985 की प्रथम अनुसूची का टैरिफ मद 7610 90 10 के अन्तर्गत आता है।

[अधिसूचना संख्या 17/2015 CE (NT) दिनांक 08.06.2015]

2. डिजिटली हस्ताक्षरित रिकार्ड का अनुरक्षण तथा डिजिटली हस्ताक्षरित इन्वायस को जारी करने के लिए शर्त, सेफगार्ड तथा प्रक्रिया

केंद्रीय उत्पाद नियम 2002 डिजिटल सिग्नेचर के जरिये क्रमशः इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में अनुरक्षण उत्पाद रिकार्ड का प्रत्येक पृष्ठ तथा इन्वायस का प्रमाणीकरण को प्रदान करता है आगे नियम 10(5) तथा नियम 11(9) ने CBEC को डिजिटली हस्ताक्षरित रिकार्ड तथा डिजिटली हस्ताक्षरित इन्वायस को जारी करने के लिए एक करनिर्धारी द्वारा पालन किये जाने वाली शर्त, सेफगार्ड तथा प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया।

इस संबंध में, अधिसूचना संख्या 18/2015 CE (NT) दिनांक dated 06.07.2015 के जरिये निम्न शर्त, सेफगार्ड तथा प्रक्रिया को निर्धारित किया है।

- (a) डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग प्रस्तावित करने वाले करनिर्धारी को नहीं जो 2* तथा श्रेणी 3** का उपयोग करना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र को भारत में प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जायेगा।

***श्रेणी 2 प्रमाणपत्र :** इस प्रमाणपत्र को दोनों व्यापार कर्मी तथा निजी व्यक्तिगत उपयोग के लिए जारी किया जाता है तथा एक विश्वसनीय तथा पूर्व-सत्यापन डाटा बेस के विरुद्ध एक व्यक्ति की पहचान का सत्यापन के पश्चात् डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

****श्रेणी 3 प्रमाणपत्र :** इस प्रमाणपत्र को व्यक्ति तथा संस्था को जारी किया जाता है क्योंकि यह उच्च आश्वासन प्रमाण है जो मुख्यतः ई-कामर्स आवेदन के लिए होते हैं, उन्हें प्रमाणक प्राधिकरण के सम्मुख अपनी व्यक्तिगत (भौतिक) प्रस्तुति पर व्यक्तियों को जारी किया जाता है।

(b) डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग को प्रस्तावित प्रत्येक करनिर्धारि कम से कम 15 दिवस अग्रिम में न्यायक्षेत्र उप/सहायक आयुक्त को निम्न विवरण के बारे में सूचित करेगा :

- डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के उपयोग के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, ई-मेल आई डी, कार्यालय पता तथा पदनाम
- प्रमाणक प्राधिकरण का नाम,
- प्रमाणक प्राधिकरण का पूर्ण पता सहित प्रमाणक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र की कॉपी सहित डिजिटल सिग्नेचर की वैधता तथा डिजिटल प्रमाणपत्र को जारी करने की तिथि।

यद्यपि, उपरोक्त विवरण में किसी परिवर्तन के मामले में, इस प्रकार के बदलाव की 15 दिवस के अंदर नवीन रूप से पूर्ण विवरण को देना होगा।

जहां पर करनिर्धारि पहले से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर रहे हैं, उपरोक्त विवरण को इस अधिसूचना के जारी करने के 15 दिवस के अंदर सूचित करना चाहिए।

- (c) प्रत्येक करनिर्धारि जो इलैक्ट्रॉनिक फार्म में रिकार्ड को रखने के लिए चुनता है।
- (i) एक से अधिक फ़ैक्टरी/सेवा कर पंजीकरण हैं प्रत्येक फ़ैक्टरी/सेवा कर पंजीकरण के लिए पृथक रिकार्ड को बनाये रखेगा।
 - (ii) केंद्रीय उत्पाद अधिकारी के द्वारा प्रार्थना (एक पत्र अथवा ई-मेल) पर, इलैक्ट्रॉनिक फार्म में निर्दिष्ट रिकार्ड तथा ई-मेल के जरिये इन्चायस को अथवा इलैक्ट्रॉनिकल पाठ्य फोरमेट में निर्दिष्ट भंडारण डिवाइस पर प्रपत्र की प्रामाणिकता को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा।
 - (iii) इलैक्ट्रॉनिक फार्म में रिकार्ड का उपयुक्त बैक को रखा है तथा वित्तीय वर्ष जिससे यह रिकार्ड रखता है, के पश्चात् तुरंत 5 वर्षों की अवधि के लिए अनुरक्षित किया है, को सुनिश्चित करेगा।
- (d) एक केंद्रीय उत्पाद अधिकारी एक पड़ताल, अन्वेषण अथवा अंकेक्षण के दौरान एक करनिर्धारि को इलैक्ट्रॉनिक में रिकार्ड तथा इन्चायस का प्रिंट आउट देने के लिए करनिर्धारि को निर्देशित कर सकता है तथा इलैक्ट्रॉनिक फोरमेट में उसकी सही होने की सत्यापन करने के पश्चात् इस प्रकार का इन्चायस तथा रिकार्ड का प्रिंट आउट आरंभ कर सकता है तथा इलैक्ट्रॉनिक फार्म में इस प्रकार का रिकार्ड का प्रिंट आउट को इस संबंध में करनिर्धारि अथवा करनिर्धारि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए यदि केंद्रीय उत्पाद अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गयी है।

नोट : उपरोक्त शर्त इलैक्ट्रॉनिक स्वरूप में सेवा कर रिकार्ड तथा अनुरक्षण डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा सेवा कर इन्चायस की प्रामाणिकता पर भी लागू होगा।

आगे, कस्टम अधिनियम 1962 के अन्तर्गत औपचारिकता के लिए कस्टम ब्रोकर्स की सेवा का उपयोग करने वाले सभी आयातक तथा निर्यातक शिपिंग लाइन तथा एयर लाइन को 01.01.2016 के प्रभाव से अनिवार्य रूप से डिजिटल सिग्नेचर के अन्तर्गत प्रपत्र को फाइल करना होगा। बिल आफ एंट्री अथवा शिपिंग बिल को व्यक्तिगत रूप से भरने के इच्छुक आयातक/निर्यातक के पास डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग के बिना घोषणा/प्रपत्र को भरने का विकल्प भी होगा। (परिपत्र संख्या 26/2015 Cus. दिनांक 23.10.2015)।

अध्याय 6 : निर्यात प्रक्रिया

1. थोक माल का निर्यात के लिए पैकेज/कंटेनर में सीलिंग से विमुक्ति (उदाहरण के लिए कोयला, लौह अयस्क, एल्यूमिना कन्सेनट्रेट, उच्च मशीनरी इत्यादि) जो पैकेज/कंटेनर में सील करना कठिन है।

भूटान को छोड़कर सभी देशों को शुल्क के भुगतान के बिना निर्यात (बांड के अन्तर्गत) से संबंधित शर्त तथा प्रक्रिया जो अधिसूचना संख्या 42/2001 CE (NT) दिनांक 26.06.2001 में समाहित है, को केंद्रीय उत्पाद नियम 2002 का नियम 19 के अन्तर्गत जारी किया। उक्त अधिसूचना वर्णित करती है कि फैंक्टरी/वेयर हाउस/कोई अन्य अनुमोदित परिसर से निर्यात प्रेषण का क्लियरिंग से पूर्व इस प्रकार की वस्तु का परीक्षण के पश्चात् केंद्रीय उत्पाद अधिकारी के द्वारा सील करना चाहिए अथवा स्वयं सीलिंग तथा स्वयं प्रमाणन के अन्तर्गत स्वयं निर्यातक द्वारा किया जाना चाहिए।

यद्यपि, थोक माल उदाहरणतः कोयला, लौह अयस्क, एल्युमीनियम सारकृत द्रव्य, भारी मशीनरी इत्यादि को पैकेज अथवा कंटेनर से सील करना कठिन है। परिणामतः अधिसूचना संख्या 23 /2015 CE (NT) दिनांक 30.10.2015 को जारी किया जो प्रदान करता है कि जहां पर पैकेज अथवा कंटेनर में वस्तु को सील नहीं किया जा सकता जैसे कोयला अथवा अयस्क पैकेज अथवा कंटेनर की सीलिंग से विमुक्ति का प्रमुख मुख्य आयुक्त के द्वारा उसकी अनुमति में निर्दिष्ट सेफगार्ड के रहते प्रदान की जा सकती है।

सेफगार्ड में निम्न सम्मिलित होगा—

- (i) वस्तुओं की टेस्टिंग सहित वस्तु की मात्रा तथा गुणवत्ता के सत्यापन का तरीका जहां पर हटाने अथवा डिस्पेच के स्थान पर है तथा निर्यात अथवा SEZ की बंदरगाह है जहां पर वस्तु को प्राप्त किया जाता है।
- (ii) मार्गस्थ के अंदर वस्तु का गुम होने के लिए शुल्क की किसी माफी की आज्ञा नहीं है।
- (iii) एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं निर्दिष्ट अवधि के लिए मामला दर मामला पर दी जायेगी तथा दुरुपयोग के मामले में वापस लिया जा सकता है।
- (iv) कोई अन्य सेफगार्ड जैसी निर्दिष्ट हो सकती है।

अध्याय 14 : अधिसूचना, विभागीय स्पष्टीकरण तथा ट्रेड नोटिस

1. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निर्णय के विपरीत बोर्ड परिपत्र (जहां पर बोर्ड ने मेरिट पर अपील को फाइल न करने का निर्णय लिया। विभागीय अधिकारियों पर बाध्य नहीं है।

Ratan Melting & Wire Industries v. CCE 2008 (231) E.L.T. 22 (S.C.) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र तथा अनुदेश निस्संदेह क्रमशः विधान पर कानून में बाध्य है, परन्तु जब उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय विचार के लिए उत्पन्न प्रश्न पर कानून को घोषित करता है, न्यायालय के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि परिपत्र को प्रभाव देना चाहिए न कि इस न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रकट मत को। जहां पर केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण/परिपत्र के संबंध हैं, वे केवल वैधानिक प्रावधान की समझ का प्रतिनिधित्व करता है। वे न्यायालय पर बाध्य नहीं हैं, यह न्यायालय के लिए घोषित करना है कि विधान का विशेष प्रावधान क्या कहता है तथा यह कार्यपालक के लिए नहीं है। एक परिपत्र जो वैधानिक प्रावधान के विपरीत है, का कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।

उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में, CBEC ने परिपत्र संख्या 1006/13/2015-CX दिनांक 21.09.2015 के जरिये स्पष्ट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत बोर्ड का परिपत्र है जहां पर बोर्ड ने मेरिट पर अपील न फाइल करने का निर्णय लिया है, कानून में non-est बन जाता है तथा पालन नहीं करना चाहिए।

निर्णय की तिथि के पश्चात् निर्णीत सभी लम्बित मामले माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के द्वारा रखे कानून के अनुरूप होंगे चाहे परिपत्र को भंग किया है अथवा नहीं।

भाग B : सेवा कर

अध्याय 5 : विमुक्ति तथा छूट

1. विद्युत मंत्रालय की विद्युत सिस्टम विकास निधि के अन्तर्गत प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त है।

विद्युत मंत्रालय की विद्युत सिस्टम विकास निधि के अन्तर्गत प्रदान करयोग्य सेवा को निम्न के जरिये सेवा कर से विमुक्त अधिसूचना में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा होने के तहत प्रदान की है।

- (A) Gas Authority of India Limited (GAIL) द्वारा आयातित (LNG) तरलीकरण प्राकृतिक गैस; का पुनः गैसीफिकेशन :
- (B) निर्दिष्ट विद्युत सृजन कम्पनियों अथवा प्लांट को वृद्धि गैर-गैसीफाइड प्राकृतिक गैस (RLNG) (e-bid RLNG) गैस का परिवहन।

यद्यपि, विमुक्ति उपलब्ध नहीं होगी यदि RLNG तथा LNG को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(8) में परिभाषित केपिटेप सृजन प्लांट द्वारा विद्युत उर्जा के सृजन के लिए प्रयुक्त किया है।

आगे, विमुक्ति 31.03.2017 तक वैध होगी।

(अधिसूचना संख्या 17/2015, दिनांक 19.05.2015)

2. योग को धर्मार्थ गतिविधियों में सम्मिलित किया है।

मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012-ST, दिनांक 20.06.2012 धर्मार्थ गतिविधियों के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत इकाई द्वारा सेवा को विमुक्त करता है।

धर्म अथवा आध्यात्मिकता के बढ़ावा से संबंधित गतिविधियां धर्मार्थ गतिविधियों की परिभाषा में सम्मिलित हैं। अब इसमें योग को सम्मिलित किया है। इसलिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ इकाइयों द्वारा प्रदान योग का बढ़ावा से संबंधित सेवा सेवा कर के लिए दायी नहीं होगी। उदाहरणतया धर्मार्थ न्यास के द्वारा परिचालित योग कार्य के लिए वसूल शुल्क पर सेवा कर भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(अधिसूचना संख्या 20/2015-ST, दिनांक 21.10.2015)

3. (i) प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा कवर मूल बचत बैंक जमा खाता के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता/व्यापार व्यवहारी, तथा (ii) इस प्रकार की सेवा के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता/व्यावहार व्यवहारी को एक मध्यवर्ती द्वारा प्रदान सेवा सेवा कर से विमुक्त होगी।

वित्तीय समावेश का संवर्द्धन करने के लिए, बैंकिंग कम्पनियों की ग्रामीण क्षेत्र कम्पनियों में खाता खोलने, नकद जमा, नकद आहरण, सजीवन प्रमाणपत्र तथा आधार के जरिये प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा कवर मूल बचत बैंक जमा खाता के संबंध में बैंकिंग कम्पनी को व्यापार सुलभकर्ता अथवा व्यापार व्यवहारी द्वारा प्रदान सेवा को सेवा कर से विमुक्त करने के लिए मेगा विमुक्ति अधिसूचना संख्या 25/2012-ST, दिनांक 20.06.2012 को संशोधित किया है। आगे उपरोक्त वर्णित सेवा के संबंध में व्यापार सुलभकर्ता अथवा व्यापार व्यवहारी के रूप में एक व्यक्ति को प्रदान सेवा को भी सेवा कर से विमुक्त किया है।

इस उद्देश्य के लिए मूल बचत बैंक खाता से तात्पर्य इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शिता के अंदर खोले मूल बचत बैंक जमा खाता से है।

(अधिसूचना संख्या 20/2015-ST, दिनांक 21.10.2015)

4. वस्तु के परिवहन के दौरान वस्तु परिवहन एजेंसी (GTA) के द्वारा प्रदान सहायक सेवा पर 70% छूट उपलब्ध होगी।

यह स्पष्ट किया गया है कि सहायक सेवा जैसा चढ़ाई/उतराई, पैकिंग, गैरपैकिंग, यात्रानांतरण, अस्थायी भंडारण इत्यादि वस्तु परिवहन एजेंसी परिवहन सेवा का भाग बनेगा यदि इस प्रकार की सेवा को वस्तु के परिवहन के दौरान वस्तु परिवहन एजेंसी द्वारा प्रदान किया है तथा इस प्रकार की सेवा के लिए प्रथम को वस्तु परिवहन एजेंसी (GTA) के द्वारा जारी इन्चायस में सम्मिलित किया है तथा न कि अन्य व्यक्ति द्वारा।

इसलिए, वस्तु परिवहन एजेंसी सेवा को लागू 70% की छूट सहायक सेवा पर भी लागू होगी। अन्य शब्दों में, एक एकल सम्मिलित सेवा को हिस्से में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है तथा इसे पृथक् सेवा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सम्मिश्रित सेवा को मुख्य

सेवा पर आधारित एकल सेवा पर मानना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले में जहां पर वस्तु परिवहन एजेंसी निर्दिष्ट समय के अंदर गंतव्य पर वस्तु को सुपुर्द करने का वचन देता है, इसे वस्तुओं का परिवहन के संबंध में वस्तु परिवहन एजेंसी की सेवा के रूप में मानना चाहिए। इसलिए 70% की छूट लागू होगी यदि वस्तुओं का समस्त परिवहन सड़क के द्वारा तथा वस्तु परिवहन एजेंसी प्रेषणी नोट जारी करता है, चाहे कुछ नाम दें।

(परिपत्र संख्या 186/5/2015ST, दिनांक 05.10.2015)

5. विवादित अवधि के लिए भारत से बाहर विदेशी मुद्रा का प्रेषण के संबंध में धन अंतरण सेवा परिचालक (MTSO) को धारा 11C लाभ प्रदान करती है (01.07.2012 से 13.10.2014)

01.07.2012 तथा 13.10.2014 के मध्य अवधि के दौरान एक प्रेक्टिस के संदर्भ में भारत को भारत से बाहर विदेशी मुद्रा का प्रेषण के संबंध में धन अंतरण सेवा परिचालन के एजेंट के रूप में काम करने वाली अन्य इकाई अथवा भारतीय बैंक द्वारा प्रदान सेवा पर कर नहीं लगता तथा भुगतान नहीं किया जाता जो उस समय सामान्यतः परिचालित थी। यद्यपि यह सेवा सेवा कर के लिए दायी थी जैसा परिपत्र संख्या 180/06/2014 ST दिनांक 14.10.2014 के जरिये स्पष्ट किया है।

अब केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 11C के द्वारा प्रदत्त अधिकार को जैसा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के जरिये सेवा कर के मामले में लागू किया, निर्देशित किया है कि उक्त अवधि परन्तु उक्त प्रेक्टिस में भारत को भारत से बाहर विदेशी मुद्रा की प्रेषण के संबंध में MTSO को एक एजेंट के रूप में कार्यरत अन्य इकाई अथवा भारतीय बैंक द्वारा प्रदान सेवा पर भुगतान योग्य सेवा कर के भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी।

[अधिसूचना संख्या 19/2015 ST दिनांक 14.10.2015]

नोट : परिपत्र संख्या 180/06/2014 ST दिनांक 14.10.2014 में स्पष्ट किया है कि भारत में भारत से बाहर विदेशी करेंसी के प्रेषण के संबंध में MTSO के एजेंट के रूप में कार्य कर रही इकाई अथवा भारतीय द्वारा प्रदान सेवा सेवा कर के लिए दायी है।

अध्याय 7 : मांग, न्याय निर्णयन तथा अपराध

1. केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर में अभियोजन तथा गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक न्यूनतम सीमा को बढ़ाया।

अभियोजन

केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर के अन्तर्गत अभियोजन पर पुनरीक्षण मार्गदर्शिका को जारी किया। मार्गदर्शिका का महत्वपूर्ण पक्ष है।

- (a) **मौद्रिक सीमा** : अभियोजन को सामान्यतः नहीं आरंभ किया जायेगा जब तक वित्त अधिनियम 1994 की धारा 89(1) अथवा केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 9(1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अपराध के संबंध में सेनवैट क्रेडिट का दुरुपयोग अथवा केंद्रीय उत्पाद कर अथवा सेवा कर ₹ 1 करोड़ के बराबर अथवा अधिक है। यह

नोट किया जा सकता है कि संबंधित धारा के अन्तर्गत निर्धारित मौद्रिक सीमा (₹ 50 लाख) में कोई बदलाव नहीं है, इस निर्देश को विभाग के सीमित संसाधन को अनुकूलतम प्रयुक्त करने के लिए निर्देश को जारी किया।

- (b) **अभ्यस्त चोर (Habitual evaders)** : उपरोक्त सीमा के बावजूद, अभियोजन को सेनवैट क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग अथवा शुल्क/कर को आदतन चोरी वाला करनिर्धारी/एक कम्पनी के मामले में किया जा सकता है।

एक कम्पनी/करनिर्धारी को आदतन कर की चोरी अथवा सेनवैट क्रेडिट सुविधा के दुरुपयोगी माना जायेगा यदि वह निर्णय की तिथि की सहमत 5 वर्षों में धोखाधड़ी, तथ्यों को छुपाना में लिप्त केंद्रीय उत्पाद कर अथवा सेवा कर अथवा सेनवैट क्रेडिट का दुरुपयोग की पुष्ट भाग (प्रथम अपीलीय चरण अथवा) अथवा के 3 अथवा अधिक का मामला लिप्त है जिसमें चोरी कुल शुल्क अथवा कर अथवा दुरुपयोग किया कुल क्रेडिट ₹ 1 करोड़ अथवा इससे अधिक है।

- (c) **अभियोजन को अनुमोदन देने के लिए प्राधिकरण** : एक व्यक्ति की अभियोजन के लिए आपराधिक शिकायत को केवल प्रमुख मुख्य/आयुक्त केंद्रीय अथवा सेवा कर जैसा मामला है, के अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात् फाइल किया जा सकता है। अभियोजन के लिए एक अनुमोदन को प्राप्त करने पर, कानून के न्यायालय में आपराधिक शिकायत को आयुक्त द्वारा प्राधिकृत न्यायाधिकार आयुक्त का अधिकारी द्वारा जितना संभव हो, फाइल किया जायेगा।

- (d) **मामले जहां अभियोजन को फाइल नहीं किया** : अभियोजन को केवल इसलिए फाइल नहीं किया जायेगा क्योंकि न्याय निर्णयन कार्यवाही में एक मांग की पुष्टि कर दी विशेषकर तकनीकी प्रकृति के मामले में अथवा जहां पर कानून की व्याख्या लिप्त है।

- (e) **साक्ष्य की पर्याप्तता** : यह निर्णय लेने के लिए क्या अभियोजन को किया जा सकता है, के लिए एक महत्वपूर्ण विचार पर्याप्त साक्ष्य की उपलब्धता है। आपराधिक अभियोजन में आवश्यक साक्ष्य का स्तर उच्च है क्योंकि मामले को उचित संदेह के परे स्थापित करना होगा जबकि न्याय निर्णय कार्यवाही का निर्णय संभाव्य की प्रधानता के आधार पर किया। इसलिए चाहे मांग की पुष्टि न्याय निर्णयन कार्यवाही में किया, संग्रहित साक्ष्य को तोलना चाहिए ताकि इसे अभियोजन की अनुशंसा के लिए संदेह से परे टेस्ट को पूरा करने की संभावना है। निर्णय करें विभिन्न फेक्टर जैसे अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता, चोरी शुल्क/कर की मात्रा अथवा गलत ढंग से प्राप्त सेनवैट क्रेडिट तथा संग्रहित साक्ष्य की गुणवत्ता जैसे पर विचार करने के पश्चात् केस 3 केस निर्णय लिया जायेगा।

- (f) **अभियोजन को चलाने के लिए चरण** : सामान्यतः अभियोजन को न्याय निर्णयन कार्यवाही की पूर्णता पर एकदम चलाया जा सकता है।

यदि पार्टी जानबूझकर न्याय निर्णयन कार्यवाही को देरी करती है, अभियोजन को न्याय निर्णयन कार्यवाही की विलम्बता के दौरान चलाया जा सकता है। जहां अपराध गंभीर है

तथा गुणवत्ता साक्ष्य उपलब्ध है। [Radhe Shyam Kejriwal के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मत में कस्टम खंड में विस्तार में चर्चा की]

[परिपत्र संख्या 1009/16/2015 CX दिनांक 23.10.2015]

गिरफ्तारी

अभियोजन सीमा से बढ़ने के कारण, गिरफ्तारी के लिए मौद्रिक सीमा को भी बढ़ाया। इसके पश्चात् वित्त अधिनियम 1994 की धारा 9(1) का वाक्य (i) तथा (ii) के अन्तर्गत अथवा केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1994 की धारा 9(1) का वाक्य (a) से (d) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अपराध के संबंध में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उन मामलों में की जा सकती है जहां पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर की चोरी अथवा सेनवैट क्रेडिट का दुरुपयोग ₹ 1 करोड़ के बराबर अथवा अधिक है।

[परिपत्र संख्या 1010/16/2015 CX दिनांक 23.10.2015]

भाग C : कस्टम तथा विदेश व्यापार नीति

अध्याय 11 : ड्यूटी ड्रा बैक

1. सेफगार्ड शुल्क ड्यूटी ड्रा बैक के रूप में छूट योग्य है

सेफगार्ड शुल्क जो कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8B अथवा धारा 8C जिसे कस्टम अधिनियम की धारा 12 के साथ पढ़ा जाये, के अन्तर्गत लगने वाला के संबंध में, यह स्पष्ट किया गया कि यह कस्टम अधिनियम की धारा 75 के संदर्भ में ड्रा बैक के रूप में छूट योग्य है।

क्योंकि ड्रा बैक की अखिल उद्योग दर को निश्चित करते हुए सेफगार्ड शुल्क को विचार में नहीं लिया, उसके ड्रा बैक को कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा का ड्रा बैक नियम के नियम 6 अथवा 7 के अन्तर्गत ब्रांड रेट के अन्तर्गत उनका दावा किया जा सकता है। इसमें निहित है कि ड्रा बैक केवल तब ही अनुमेय है जब इनपुट जिसने सेफगार्ड शुल्क का वहन किया, को वास्तव में निर्यातित वस्तु में प्रयुक्त किया जैसे ब्रांड रेट को फिक्स करने के लिए परिचालित सत्यापन द्वारा पुष्टि की।

आगे, जहां पर आयातित वस्तु जो सेफगार्ड शुल्क के तहत है, को इस तरह देश से बाहर निर्यात किया जाता है, तक कस्टम अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत भुगतान योग्य ड्रा बैक में अन्य शर्तों को पूरा करने के तहत भुगतान कुल शुल्क के भाग के रूप में सेफगार्ड शुल्क का भार भी सम्मिलित होगा।

[परिपत्र संख्या 23/2015 Cus दिनांक 29.09.2015]

अध्याय 12 : अवैध आयात, निर्यात, जब्ती, दंड तथा सहायक प्रावधान से संबंधित प्रावधान

1. कस्टम के अन्तर्गत अभियोजन तथा गिरफ्तारी के लिए बढ़ायी मौद्रिक न्यूनतम सीमा

अभियोजन

कस्टम अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अभियोजन पर पुनरीक्षण मार्गदर्शिका को जारी किया। मार्गदर्शिका का महत्वपूर्ण पक्ष है।

- (a) अभियोजन के लिए दायी व्यक्ति : कस्टम अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 132, 133, 134, 135 135A अथवा 136 के अन्तर्गत कवर अपराध के लिए कानून व्यक्ति सहित किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन को चलाया जा सकता है।
- (b) अभियोजन को चलाने के लिए न्यूनतम सीमा : CBEC ने अभियोजन को चलाने के लिए निम्न न्यूनतम सीमा को रखा :

| क्रम संख्या | विवरण | न्यूनतम सीमा |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (i) | बैगेज तथा सीधा तस्करी मामले: | |
| | (a) निवास का अंतरण नियम के अन्तर्गत बैगेज/कैश में गैर प्राधिकृत आयात में लिप्त मामला | लिप्त वस्तुओं का CIF मूल्य ₹ 20 लाख अथवा अधिक है। |
| | (b) उच्च मूल्य वस्तु की सीधे तस्करी जैसे कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचित महंगी धातु, सीमित मद अथवा प्रतिबंधित मदें अथवा अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु अथवा विदेशी करेंसी लिप्त अपराध | अपराध वस्तु का मूल्य ₹ 20 लाख अथवा अधिक |
| (ii) | मूल्यांकन मामले/वाणिज्यिक धोखाधड़ी | |
| | (a) मूल्य से जानबूझकर गलत घोषणा/वस्तु का विवरणी सीमित वस्तु का छुपाव/अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु में लिप्त ट्रेड वस्तु का आयात | आपराधिक वस्तु का मूल्य ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक है। |
| | (b) कस्टम अधिनियम 1962 के अन्तर्गत प्रदान शुल्क से विमुक्ति अथवा ड्रा बैंक को प्राप्त करने का प्रयास अथवा ड्रा बैंक का धोखाधड़ी से प्राप्त करना। | ड्रा बैंक की राशि अथवा शुल्क से विमुक्त ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक है। |
| | (c) कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु अथवा सीमित वस्तु का छुपाव, मूल्य/विवरण में जानबूझकर गलत घोषणा में लिप्त ट्रेड वस्तु का निर्यात | आपराधिक वस्तु का मूल्य ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक है। |

(c) अपवाद :

न्यूनतम सीमा निम्न मामलों में लागू नहीं होगी :

- (i) आदतन अपराधियों के मामले में अथवा जहां पर आपराधिक इरादा छुपाव का चतुर तरीके में विदित है, जहां पर पेशेवर अथवा अभ्यस्त अपराधी इत्यादि में लिप्त वस्तु/करेंसी के मूल्य पर विचार किये बिना अभियोजन पर विचार किया जा सकता है बशर्ते निर्णय की तिथि से गत 5 वर्षों में 3 अथवा अधिक उपराध का संग्रहित मूल्य उपरोक्त सारणी में संकेतित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
 - (ii) मर्दे अर्थात् नकली भारतीय करेंसी नोट, हथियार, बारूद तथा विस्फोटक पुरावास्तुकला संग्रह, वन्य जीवन मर्दे तथा फूलों की लुप्त प्रजाति से संबंधित अपराध में लिप्त मामलों में, लिप्त आपराधिक वस्तु के मूल्य पर विचार किये बिना सदा अभियोजन को चलाया जायेगा।
 - (iii) विदेशी राष्ट्र तथा अनिवासी भारतीयों के द्वारा विदेशी मुद्रा की गैर घोषणा में लिप्त मामला जो भारत से वापस प्रस्थान के समय खोजा है, जो ₹ 20 लाख की न्यूनतम सीमा से अधिक है, यदि यह दावा किया गया है कि करेंसी को कानूनी रूप से अधिगृहीत किया तथा भारत में लाया, अभियोजन को नैतिक नहीं माना जायेगा।
अभियोजन को नैतिक के मामला के रूप में तथा/अथवा तकनीकी मामले के रूप में चलाया नहीं जायेगा, जहां पर शुल्क के लिए अतिरिक्त दावा केवल कानून की व्याख्या के अंतर पर आधारित है।
- (d) अभियोजन का अनुमोदन के लिए प्राधिकरण : अभियोजन को आयुक्त/प्रमुख आयुक्त अथवा राजस्व गुप्तचर के अतिरिक्त महानिदेशक/प्रमुख अतिरिक्त महानिदेशक से अनुमोदन (संग्रहित रूप में अनुमोदन प्राधिकरण जाना जाता है) के पश्चात् चलाया जा सकता है। यद्यपि, आदतन अपराधी तथा मूल्यांकन मामले/वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले मुख्य आयुक्त/प्रमुख मुख्य आयुक्त अथवा राजस्व गुप्तचर के महानिदेशक/प्रमुख महानिदेशक जैसा भी मामला हो, अभियोजन को उतारने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है।
- (e) अभियोजन को करने के लिए चरण : सामान्यतः अभियोजन को न्यायनिर्णयन कार्यवाही की पूर्ति पर तुरंत उठाया जा सकता है।

अपवाद :

- (i) मर्दे अर्थात् FICN, हथियार, बारूद तथा विस्फोटक, पुरातत्व वस्तुकलाकोष, वन्य जीवन मर्दे तथा फूलों की लुप्त जाति के संबंध में अपराध से लिप्त मामलों के संबंध में अभियोजन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् तुरंत आरंभ किया जाना चाहिए।

- (ii) यदि पक्ष जानबूझकर निर्णयन कार्यवाही को पूर्ण करने में देरी करता है, अभियोजन को निर्णयन कार्यवाही की लम्बित होने के दौरान आरंभ किया जा सकता है, जहां पर अपराध गंभीर है तथा गुणवत्ता साक्ष्य उपलब्ध है (*Radhe Shyam Kejriwal 2011(266)ELT 294* के मामले में उच्चतम न्यायालय के मत में)

आगे, निम्न मामलों में अन्वेषण को अधिमान रूप से **6 माह** के अंदर समयबद्ध मामले में पूर्ण किया जा सकता है तथा निर्णयन में अभियोजन को चलाने में सुलभता के लिए तीव्रता लानी चाहिए। यह मामले हैं :

- (A) मामले जहां पर अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी की गयी (वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्करी के मामले) अथवा एक आदतन अपराधी के मामले में।
- (B) मामले जहां पर गिरफ्तारी नहीं की, परन्तु उच्च मूल्य वस्तु जैसे कीमती धातु, सीमित दें अथवा धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रतिबाधित मद अथवा कस्टम अधिनियम की धारा 123 के अन्तर्गत अधिसूचित वस्तु अथवा विदेशी मुद्रा जहां पर वस्तु का मूल्य ₹ 20 लाख अथवा अधिक है, से संबंधित है।

[परिपत्र संख्या 27/2015 *Cus* दिनांक 23.10.2015]

गिरफ्तारी

अभियोजन के लिए न्यूनतम सीमा बढ़ाने के कारण, गिरफ्तारी के लिए परिपत्र संख्या 28/2015 *Cus* दिनांक 23.10.2015 के जरिये न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया। गिरफ्तारी की न्यूनतम सीमा वही है जिसे अभियोजन को आरंभ करने के मामले में वर्णित किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी के अधिकार का अपवादपूर्वक स्थिति में उपयोग करना चाहिए।

यद्यपि, न्यूनतम सीमा FICN हथियार, बारूद तथा विस्फोटक, पुरातत्व वास्तुकला कोष, वन्य जीवन मर्दें तथा फूलों की लुप्त जाति से संबंधित अपराध के मामले में लागू नहीं होगा। इस प्रकार के मामले में यदि मामला का तथ्य परिस्थिति के आधार पर आवश्यक है, लिप्त आपराधिक वस्तु के मूल्य पर विचार किया जा सकता है।

*उच्चतम न्यायालय ने *Radhe Shyam Kejriwal 2011 (266) ELT 294* के मामले में अवलोकित किया :

- (i) न्याय निर्णयन कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही को एक साथ चलाया जा सकता है।
- (ii) निर्णय के आपराधिक अभियोजन को आरंभ करने से पूर्व न्याय निर्णयन कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
- (iii) न्याय निर्णयन कार्यवाही तथा आपराधिक कार्यवाही प्रकृति में एक अन्य कर स्वतंत्र है।
- (iv) न्याय निर्णयन कार्यवाही में अभियोजन का सामना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध खोज आपराधिक अभियोजन के लिए कार्यवाही पर बाध्य नहीं है।

पेपर II : न्यायिक अपडेट—अप्रत्यक्ष कर कानून
महत्वपूर्ण नवीन कानूनी निर्णय

“प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून में चयनित मामले फाइनल कोर्स के लिए आवश्यक पाठन” उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अधिकरण की बड़ी बेंच के महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन है। उक्त प्रकाशन का अगस्त, 2015 संस्करण मई 2016 परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। छात्र नोट करें कि उक्त प्रकाशन में प्रतिवेदित मामलों के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय भी मई 2016 परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं।

भाग A : केंद्रीय उत्पाद

मूल अवधारणा

1. क्या रंगीन फॉर्म में उत्पादन का चिन्ह तथा नाम के साथ ग्राहक की डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशन के अनुसार 41 पेपर का जुम्बो रोल पर मुद्रण निर्माण है?

CCE v. Fitrte Packers 2015 (324) ELT 625 (SC)

मामले का तथ्य : करनिर्धारी ने बाजार से शुल्क भुगतान 41 पेपर को क्रय किया तथा ग्राहक के डिजाइन तथा स्पेसिफिकेशन के अनुसार मुद्रण किया। मुद्रण को GIP Twist Wrappers का जुम्बो रोल पर की है। पेपर पर, उत्पाद का लोगो तथा नाम को रंगीन स्वरूप में मुद्रित किया तथा उसे बगैर काटे जुम्बो रोल में ग्राहकों को सुपुर्द किया। ग्राहक इसे अपनी वस्तुओं की पैकिंग की रैपिंग (Wrapping) पैकिंग पेपर के रूप में इस पेपर का उपभोग के लिए ऐच्छिक है।

विवाद का बिंदु : राजस्व ने दलील दी कि प्रोसेस निर्माण है तथा करनिर्धारी उस पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए दायी था। यद्यपि, अधिकरण जब उसके सम्मुख मामले को लाया गया था, ने निष्कर्ष दिया कि मुद्रण केवल सांयोगिक था GI प्रिंटिंग पेपर रोल का प्राथमिक उपयोग रैपिंग (Warpping) के लिए था जिसने प्रिंटिंग के प्रोसेस को बदला नहीं। अधिकरण के आदेश से पीड़ित, राजस्व ने उच्चतम न्यायालय के सम्मुख अपील की।

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन : उच्चतम न्यायालय ने *Servo-Med Industries Pvt. Ltd. v. CCEx. 2015 (319) ELT 578* के मामले में पहले की निर्णयन को संदर्भित किया। इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह ज्ञात करने के लिए कि ‘क्या विशेष प्रोसेस निर्माण है अथवा नहीं’ इस मामले की चार श्रेणी बनाई :

- (i) जहां पर वस्तु एक विशेष प्रोसेस के पश्चात् भी वैसे ही रहती है— निःसंदेह कोई निर्माण लिप्त नहीं है। प्रोसेस जो वस्तु से विदेशी सामग्री को हटाया है स्वयं में पूर्ण वस्तु है। अथवा प्रोसेस जो वस्तु को साफ करता है स्वयं में पूर्ण है इस श्रेणी में आता है।
- (ii) जहां पर वस्तु प्रोसेस के पश्चात् आवश्यक रूप से वही रहती है – फिर से कोई निर्माण नहीं है। इसी कारण से मूल वस्तु इस तरह रहती है उक्त प्रोसेस तथा उक्त प्रोसेस में लाये गये बदलाव के बावजूद।

- (iii) जहां पर वस्तु एक विशेष प्रोसेस के पश्चात् कुछ भिन्न तथा/अथवा नहीं में रूपांतरित हो जाती है, परन्तु उक्त वस्तु विपणनयोग्य नहीं है। वस्तु का कोई निर्माण नहीं होता। इस समूह के अंदर उदाहरण है जहां पर वस्तु जिनकी शेल्फ जीवन कटौती अवधि का होता है, का रूपांतरण।
- (iv) जहां पर वस्तु को उन वस्तु में रूपांतरित किया जाता है जो एक विशेष प्रोसेस के पश्चात् भिन्न तथा/अथवा नहीं है तथा इस तरह वस्तु इस तरह विपणनयोग्य है – इस श्रेणी में यह कहा जा सकता है कि निर्माण हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने अवलोकित किया कि GI पेपर रैपिंग (Wrapping) के लिए था तथा इसका उपयोग में प्रिंटिंग के पश्चात् कोई अंतर नहीं आया उसका अंतिम उपयोग भी वही था रैपिंग/पैकेजिंग। यद्यपि जबकि खाली पेपर को किसी प्रकार के उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, उस पर विशिष्ट उत्पाद का लोगो तथा नाम की प्रिंटिंग के पश्चात् इसका अंतिम उपयोग केवल उस विशेष कम्पनी/ग्राहक की विशेष तथा विशिष्ट उत्पाद तक सीमित है। इसलिए प्रिंटिंग न केवल एक मूल्य संवर्द्धन है, परन्तु उसे विशेष रैपिंग पेपर में रूपांतरित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रिंटिंग की उपरोक्त विशेष प्रकार का प्रोसेस का परिणाम एक उत्पाद में होता है अर्थात् भिन्न चरित्र के साथ पेपर तथा स्वयं का उपयोग जो पहले नहीं था। न्यायालय ने जोर दिया कि रूपांतरण को वस्तु में भिन्न अथवा विभिन्न उपयोग में लाना चाहिए ताकि निर्माण की परिभाषा के अन्तर्गत प्रोसेस को कवर किया जा सके। क्योंकि वर्तमान मामले में टेस्ट वर्तमान था, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रोसेस निर्माण है।

सेनवेट क्रेडिट

2. क्या करनिर्धारि फ़ैक्टरी से क्लीयर वस्तु की बाहरी निर्माण पर भुगतान सेवाकर का सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए हकदार है?

CCE v. Haryana Sheet Glass Ltd. 2015 (39) STR 0392 (P&H)

मामले का तथ्य : करनिर्धारि ने फ़ैक्टरी से क्लीयर वस्तु का बाहरी परिवहन पर भुगतान सेवाकर पर सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त किया। करनिर्धारि का मत है कि वस्तु का फ़ैक्टरी से याचिकाकर्ता की परिसर तक वस्तु का परिवहन को इनपुट सेवा के रूप में मानना चाहिए। यद्यपि राजस्व ने क्रेडिट की अस्वीकृति की, यह कहकर कि करनिर्धारि बाहरी भाड़ा की तरफ सेवाकर के क्रेडिट के लिए हकदार नहीं था। अपीलीय अधिकरण ने करनिर्धारि की अपील को स्वीकृत किया।

उच्च न्यायालय का निर्णय : उच्च न्यायालय ने *Ambuja Cements Ltd. v. Union of India 2009 (236) ELT 431 (P&H)* के पहले निर्णय पर विश्वास करते हुए अधिकरण के निर्णय को सही ठहराया।

उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निकासी के स्थान तक बाहरी परिवहन अभिव्यक्ति 'इनपुट सेवा' के अंदर आती है। बोर्ड का परिपत्र के संदर्भ में निकासी का स्थान तथ्य

का प्रश्न है। यदि एक निर्माता को वस्तु को सुपुर्द करना है, निकासी का स्थान निर्माता का फैक्टरी गेट नहीं है परन्तु क्रेता का गेट है। दिये गये मामले में, इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि वस्तु में सम्पत्ति करनिर्धारि का फैक्टरी दरवाजे पर अंतरित की जाती है। इसलिए, करनिर्धारि फैक्टरी से क्लीयर वस्तु के बाहरी परिवहन पर भुगतान सेवाकर का सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार है।

नोट : (1) उपरोक्त मामला स्थापित करता है कि फैक्टरी सभी मामलों में निकासी का स्थान नहीं हो सकता। केवल यदि वस्तु में सम्पत्ति को फैक्टरी गेट पर अंतरित किया जाता है, बिक्री फैक्टरी गेट पर पूर्ण होगी तथा तब फैक्टरी को निकासी का स्थान माना जायेगा।

* (2) उपरोक्त मामलों में संदर्भित परिपत्र को 23.08.2007 के समय जारी किया गया था। यद्यपि बोर्ड द्वारा जारी एक नवीन परिपत्र [परिपत्र संख्या 988/12/2014 CX दिनांक 20.10.2014] स्पष्ट करता है कि निकासी का स्थान को वस्तु की बिक्री अधिनियम, 1930 के प्रावधान के साथ 46 का केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 के प्रावधान के संदर्भ में ज्ञात करने की आवश्यकता है। परिवहन का भुगतान मूल्य में परिवहन प्रभार का सम्मिलित होना, बीमा का भुगतान अथवा कौन जोखिम को वहन करता है निकासी का स्थान को ज्ञात करने के लिए प्रासंगिक विचार नहीं है। स्थान जहां पर बिक्री होती है अथवा जब वस्तु में सम्पत्ति विक्रेता से क्रेता की तरफ पास होती है, निकासी के स्थान के लिए प्रासंगिक विचार है।

3. क्या एक वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग संस्थान कोचिंग श्रेणी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयुक्त खानपान, फोटोग्राफी तथा टेंट सेवा, अपने मोटर वाहन का अनुरक्षण तथा मरम्मत तथा यात्रा व्यय की इनपुट सेवा के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का दावा कर सकती है?

Bansal Classes v. CCE & ST 2015 (039) STR 0967 (Raj.)

मामले का तथ्य : करनिर्धारि अपने छात्रों को करयोग्य वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग सेवा को प्रदान करने में लिप्त है। यह अपने शैक्षणिक सत्र के दौरान समारोह आयोजित करता है जिसमें खानपान, फोटोग्राफी तथा टेंट की सेवा का उपयोग होता है। इस समारोह के दौरान कोचिंग में सफल छात्र को पुरस्कार दिया जाता है ताकि विद्यमान छात्रों को प्रोत्साहित तथा नये छात्रों को प्रेरित किया जा सके। आगे, यह कोचिंग के अन्तर्गत छात्रों की परीक्षा के परिचालन के उद्देश्य के लिए किराया आधार पर परीक्षा भवन को किराया पर लेता है। यह इसके द्वारा प्रयुक्त वाहन की अनुरक्षण तथा मरम्मत को करता है तथा व्यापार दौरो के लिए यात्रा व्यय को उत्पन्न करता है।

इसने उसके द्वारा प्राप्त उपरोक्त सेवा पर सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त किया। यद्यपि राजस्व ने आरोपित किया कि इस प्रकार की सेवा पर सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 2(e) के अन्तर्गत इनपुट सेवा की परिभाषा के अन्तर्गत कवर नहीं है क्योंकि इसे आउटपुट सेवा को प्रदान करना है। इस संबंध में प्रयुक्त नहीं किया।

अधिकरण के सम्मुख अपील में यह पाया गया कि करनिर्धारी परीक्षा भवन के किराया की अचल सम्पत्ति सेवा का किराया पर भुगतान सेवाकर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र है, परन्तु अन्य गतिविधियों के संबंध में प्राप्त सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया।

उच्च न्यायालय का अवलोकन : उच्च न्यायालय अधिकरण द्वारा लिये गये मत से सहमत है कि एक छात्र अपनी कोचिंग श्रेणी को पास कर लेता है, खानपान, फोटोग्राफी तथा टेंट सेवा की गतिविधियों को वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग की आउटपुट सेवा को प्रदान करने में प्रयुक्त करने वाली नहीं कही जा सकती। इसी तरह, करनिर्धारी व्यापार के दौरान अपने मोटरवाहन को बनाये रखता है तथा मरम्मत करता है कि तथा यह कोई सामग्री नहीं है जो यह दिखाये कि अनुरक्षण तथा मरम्मत वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग से कोई संबंध है। इसी तरह, व्यापार दौरे के लिए करनिर्धारी द्वारा उत्पन्न यात्रा व्यय वाणिज्यिक प्रशिक्षण अथवा कोचिंग से संबंधित नहीं हो सकता।

उच्च न्यायालय का निर्णय : उच्च न्यायालय ने अधिकरण के निर्णय को सही ठहराया। इसलिए करनिर्धारी खानपान, फोटोग्राफी तथा टेंट सेवा, अपने मोटरवाहन का अनुरक्षण तथा मरम्मत तथा यात्रा व्यय पर भुगतान सेवाकर का सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है।

4. क्या करनिर्धारी एक पर्यावरण मित्रवत तरीके में अपने कारखाना परिसर को बनाये रखने के लिए उपलब्ध हाउस कीपिंग तथा लैंडस्केपिंग सेवा पर भुगतान सेवाकर का सेनवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए हकदार है?

Commr. of C. Ex., & S.T., LTU v. Rane TRW Steering Systems Ltd. 2015 (039) STR 13 (Mad.)

मामले का तथ्य : करनिर्धारी ने हाउस कीपिंग सेवा तथा उद्यान सेवा पर भुगतान सेवाकर का क्रेडिट को प्राप्त किया। यद्यपि राजस्व ने क्रेडिट को अस्वीकृत कर दिया तथा इस आधार पर दंड लगाया कि करनिर्धारी इन सेवा पर सेवाकर का क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं था।

उच्च न्यायालय का अवलोकन : उच्च न्यायालय ने नोट किया कि *CCE v. Millipore India Pvt. Ltd. 2012 (26) S.T.R. 514 (Kar.)* में प्रतिपादित सिद्धांत हाथ में मामले पर लागू है। इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि फैक्टरी की लैंडस्केपिंग अथवा उद्यान निश्चित रूप से कार्यालय परिसर की आधुनिकीकरण, पुनरुद्धार, मरम्मत की अवधारणा के अंदर आता है। किसी भी दर पर, एक उद्योग की क्रेडिट रेटिंग इस पर निर्भर है कि किस प्रकार फैक्टरी अपने परिसर का बाहर तथा अंदर को रखती है। पर्यावरण कानून नियोक्ता से अपेक्षा रखता है वह उन कानून का उल्लंघन किये बिना फैक्टरी को बनाये रखे। उसके अतिरिक्त, अब निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा प्रासंगिक है। इस वैधानिक दायित्व का निर्वाहन के लिए है, जब नियोक्ता धन को अपनी फैक्टरी को पर्यावरण मित्रवत तरीके में बनाये रखने के लिए व्यय करता है, निश्चित रूप से इस प्रकार सेवा पर भुगतान कर अंतिम उत्पाद की लागत का भाग बनायेगा।

उच्च न्यायालय का निर्णय : उच्च न्यायालय उपरोक्त निर्णय में रखी युक्ति से सहमत है तथा अनुगमन करता है तथा निर्णय दिया है कि जहां पर नियोक्ता पर्यावरण तरीके में फैक्टरी परिसर को बनाये रखने के लिए धन का व्यय करता, इस प्रकार की सेवा पर भुगतान कर अंतिम उत्पाद की लागत का भाग बनता है। इसलिए, हाउस कीपिंग तथा उद्यान सेवा इनपुट की परिधि के अंदर आता है तथा करनिर्धारि उस पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ का दावा करने के लिए हकदार है।

निर्यात प्रक्रिया

5. क्या केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002(CER) का नियम 18 दोनों इनपुट तथा इस प्रकार इनपुट से निर्मित अंतिम उत्पाद पर भुगतान उत्पाद शुल्क की निर्यात छूट की आज्ञा देता है?

Spentex Industries Ltd v. CCE 2015 (324) ELT 686 (SC)

CER का नियम 18 वर्णित करता है कि जहां पर किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है, केंद्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा इस प्रकार के उत्पादयोग्य वस्तु पर भुगतान शुल्क पर छूट को प्रदान करता है अथवा इस प्रकार की वस्तु के निर्माण अथवा प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सामग्री पर शुल्क का भुगतान किया है। इस मामले में मुद्दा है कि शुल्क जिसके संबंध में छूट को प्रदान किया जा सकता है, के दो प्रकार के मध्य 'अथवा' को प्रयुक्त किया क्या छूट दोनों शुल्क में से एक में प्रदान की जायेगी अथवा दोनों शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन : उच्चतम न्यायालय ने निम्न महत्वपूर्ण अवलोकन किया :

- (i) CER का नियम 18 तथा 19 उत्पाद शुल्क के भुगतान से विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए दो विकल्प प्रदान करता है।
- (ii) CER का नियम 19 के अन्तर्गत, निर्यातक को उत्पाद शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। जब निर्यातक इस तरीके को चुनता है, उसे या तो अंतिम उत्पाद अर्थ उत्पादयोग्य वस्तु अथवा उन वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय है कि निर्यात के लिए वस्तुएं किसी उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं।
- (iii) एक इस योजना को ध्यान में रखने पर, विधान का यह इरादा नहीं हो सकता कि जहां पर एक विशेष निर्यातक नियम 18 के अन्तर्गत अन्य विकल्प को चुनता है, में एक मद पर केवल छूट प्रदान करें जैसे पहली बार में शुल्क का भुगतान करें तथा तब छूट का दावा करें। नियम 18 का इस प्रकार का सीमित अर्थ न केवल विसंगतिपूर्ण होगा वरन् यह मूर्खता की तरफ ले जायेगा तथा निर्यात वस्तु के संबंध में उत्पादन शुल्क के भुगतान से माफी प्रदान करने के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करेगा। यह द्वेषपूर्वक भेदभाव तथा मनमाना परिणाम की तरफ ले जाता है।
- (iv) केंद्रीय सरकार ने दोनों शुल्क अर्थात् मध्यवर्ती उत्पाद तथा अंतिम उत्पाद के संबंध में छूट के लिए नियम 18 के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचना को जारी किया आगे,

तथा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह अधिसूचना इस प्रकार की छूट का दावा के लिए विस्तृत प्रक्रिया को प्रदान करती है, एक स्थिति को वर्णित करती है जहां पर उत्पाद शुल्क का भुगतान दोनों उत्पादयोग्य वस्तु तथा अन्य वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर कर दिया तथा निर्यातक को दोनों शुल्क पर छूट को दावा करने के लिए समर्थ किया।

- (v) दिमाग में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केंद्रीय सरकार है जिसने नियम को बनाया तथा अधिसूचना को जारी किया। यदि केंद्रीय सरकार की स्वयं की राय है कि छूट को उत्पाद शुल्क की दोनों स्वरूप में आज़ा होगी, प्रश्न में नियम की नियम बनाने वाले की समझ के अनुसार व्याख्या करनी होगी।
- (vi) यद्यपि, सिद्धांत है कि शब्द "अथवा" सामान्यतः अलग करने वाला है तथा "तथा" सामान्यतः जोड़ने वाला है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब शब्द को विधान की प्रकट इरादा को प्रभाव देने जैसे इस संदर्भ में प्रकट किया है इसके उलट पढ़ा जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को भी परिभाषित किया (जब यह मामला पुनरीक्षण याचिका के जरिये उसके सम्मुख लाया गया) जहां पर प्राधिकरण ने निर्णय दिया कि नियम 18 के उत्पन्न शब्द 'अथवा' को शाब्दिक व्याख्या नहीं दी जा सकती जिससे कई उत्पादक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए "अथवा" तथा "तथा" को इस प्रकार पढ़ा जाये कि यह नियम 18 के उद्देश्य को पूरा करे तथा इसे नियम 19 के समतुल्य लाये तथा क्योंकि जैसा नियम बनाने वाले के द्वारा वांछित था।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्यतः दो शब्द 'अथवा' तथा "तथा" को शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। यद्यपि इस प्रकार के शब्द का उपयोग अर्थात् "तथा"/"अथवा" मूर्खतापूर्वक तथा बेतुका परिणाम प्रस्तुत करेंगे, न्यायालय के पास शब्द 'अथवा' तथा "तथा" को उलट पढ़ने का अधिकार है ताकि विधान के इरादे को प्रभाव दिया जा सके जो अन्यथा स्पष्ट है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'निर्यातक/अपीलकर्ता' नियम 18 के अन्तर्गत दोनों छूट के हकदार है तथा छूट का एक प्रकार का नहीं।

नोट : यह मामला सरकार की देशी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने तथा उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए निर्यातित वस्तु पर शुल्क तत्व (दोनों कस्टम तथा केंद्रीय उत्पाद) को बेअसर करने की सरकार की नीति की लाइन में है।

यह मामला प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून – 2015 (अगस्त 2015) में चयनित मामलों में प्रतिवेदित Rajasthan Textile Mills v. UOI 2013 (298) ELT 183 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को उलटता है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केंद्रीय उत्पाद नियम, 2002 का नियम 18 के अन्तर्गत छूट का दावा या तो उत्पादयोग्य वस्तु पर किया जा सकता है अथवा इस प्रकार की वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर अथवा इस वस्तु की प्रोसेसिंग अर्थात् कच्ची सामग्री पर, परन्तु दोनों पर नहीं।

क्लीयरेंस के मूल्य पर आधारित विमुक्ति (SSI)

6. क्या एक करनिर्धारि जिसे ब्रांड धारक द्वारा भारत में एकनिष्ठ रूप से उपयोग के अधिकार हेतु निर्दिष्ट किया है, का विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग कर रहा है, SSI विमुक्ति के लिए पात्र है?

CCE v. Otto Bilz (India) Pvt. Ltd 2015 (324) ELT 430 (SC)

मामले का तथ्य : करनिर्धारि SSI विमुक्ति अधिसूचना के लाभ का उपयोग कर रहा था तथा एक विदेशी कम्पनी का 'BILZ' ब्रांड नाम का उपयोग कर रहा था। विदेशी कम्पनी ने भारत में उक्त ट्रेड मार्क का एकनिष्ठ रूप से उपयोग के अधिकार के समझौते के अन्तर्गत करनिर्धारि के पक्ष में उक्त ब्रांड नाम को निर्दिष्ट किया। राजस्व की दलील है कि क्योंकि करनिर्धारि एक विदेशी कम्पनी का ब्रांड नाम का उपयोग कर रहा था, यह उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत विमुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपात्र है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपरोक्त निर्दिष्ट के कारण करनिर्धारि अपने अधिकार में ट्रेड मार्क का अपने ट्रेड मार्क के रूप में उपयोग कर रहा था तथा इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक अन्य व्यक्ति का ट्रेड मार्क का उपयोग कर रहा था। करनिर्धारि SSI विमुक्ति के लिए हकदार था।

अधिसूचना, विभागीय स्पष्टीकरण तथा व्यापार नोटिस

7. क्या विमुक्ति अधिसूचना का लाभ करनिर्धारि को प्रदान किया जा सकता है जहां पर विमुक्ति को प्राप्त करने की एक शर्त का पालन नहीं किया?

CCE v. Honda Siel Power Products Ltd. 2015 (323) E.L.T. 644 (S.C.)

मामले का तथ्य : करनिर्धारि एक विमुक्ति अधिसूचना के लाभ को प्राप्त करता था। उक्त अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक शर्त थी कि शुल्क का भुगतान शुल्क के भुगतान के दो तरीके या तो नकद में अथवा चालू खाते के जरिये करना था। यद्यपि, करनिर्धारि ने वस्तु को सेनवेट के उपयोग के जरिये क्लीयर किया जो कि उक्त शर्त के अनुसार वर्णित निर्धारित तरीका नहीं था।

विवाद का बिंदु : मुद्दा जो विचार के लिए उठा है क्या करनिर्धारि उक्त अधिसूचना का लाभ का प्राप्त करने का हकदार है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उच्चतम न्यायालय ने अवलोकित किया कि करनिर्धारि को *stricto senso viz.* में शर्त को पूरा करना है अर्थात् शुल्क का या तो नकद में भुगतान अथवा एकाउंट करेंट के जरिये यदि यह विमुक्ति अधिसूचना का लाभ को प्राप्त करना चाहती है तथा न कि सेनवेट क्रेडिट की समायोजन के जरिये जो कि उपरोक्त स्थिति में निर्धारित तरीका नहीं था। यह सत्य है कि विमुक्ति अधिसूचना का अभिप्राय सख्ती होना चाहिए तथा चाहे यदि कोई संदेह, यह विभाग के पक्ष में जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक बार यह पाया कि शर्त को पूरा नहीं किया निःसंदेह परिणाम होगा कि करनिर्धारि उक्त अधिसूचना का लाभ के लिए हकदार नहीं था।

| |
|-----------------------|
| भाग B : सेवाकर |
|-----------------------|

मांग, निर्णयन तथा अपराध

8. क्या कारण बताओ नोटिस को जारी किये बिना परन्तु एक पत्र के जारी कर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के साथ अपने मामले की पैरवी का करनिर्धारि को अवसर देने के बाद एक स्पष्ट आदेश द्वारा सेवाकर की मांग की जा सकती है?

CCE v. Vijaya Consultants, Engineers and Consultants 2015 (040) STR 0232 (AP)

मामले का तथ्य : उपायुक्त ने प्रतिवादी से सेवाकर की मांग करते हुए एक आदेश जारी किया। आयुक्त अपील के सम्मुख उपायुक्त के आदेश को चुनौती देते छूट अपील को खारिज कर उपायुक्त के आदेश की पुष्टि कर दी। CESTAT ने प्रतिवादी की दलील के विचार पर तथा रिकॉर्ड का मनन करने पर पाया कि प्रतिवादी को कभी भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया जैसा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अन्तर्गत आवश्यक है। अतएव अधिकरण ने निर्णयन प्राधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया। इस आदेश से पीड़ित, राजस्व ने उच्च न्यायालय में अपील की।

अपीलकर्ता (राजस्व) की दलील : राजस्व की दलील है कि CESTAT कारण बताओ नोटिस के गैर जारी करने के अल्प आधार पर सक्षम निर्णयन अधिकारी द्वारा पारित स्पष्ट आदेश तथा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्ट आदेश को खारिज करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि प्रतिवादी को पत्र के जरिये नोटिस दिया गया उसके पश्चात् प्रतिवादी ने 20 पृष्ठ का स्पष्टीकरण फाइल किया तथा व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। राजस्व का मत है कि प्रतिवादी को मामले पर निर्णय लेने से पूर्व सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया, प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया। इसलिए, राजस्व की तरफ से पर्याप्त न्याय का पालन करते हुए स्पष्ट आदेश पारित किया। इसलिए, राजस्व की तरफ से पर्याप्त अनुपालना थी तथा कारण बताओ नोटिस का जारी न करना केवल उनकी तरफ से तकनीकी खामी थी।

प्रतिवादी (करनिर्धारि) की दलील : प्रतिवादी ने आवेदन किया कि अधिकरण का स्पष्ट आदेश है कि वैधानिक प्रावधान की अनुपालन का आधारभूत भंग (कारण बताओ नोटिस को जारी न करना) था जो कि सेवाकर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही को आरंभ करने की मूल आवश्यकता है। इसलिए अधिकरण का आदेश अखंडनीय है तथा न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

उच्च न्यायालय का अवलोकन : उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 का मनन कोई संदेह नहीं छोड़ता कि नोटिस को जारी करने की आवश्यकता है जो यह वर्णित करे कि नोटिस प्राप्तकर्ता अधिनियम की धारा 73(i)(a) अथवा 1(b) (अब धारा 73(1) तथा धारा 73(1) का उपबंध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है तथा आगे सेवाकर की राशि जो भुगतानयोग्य है, उसे निर्दिष्ट करे।

उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा पत्र पर विश्वास किया। पत्र नोटिस की आवश्यकता को पूरा नहीं करता

क्योंकि उसमें यह आरोप नहीं है कि निर्दिष्ट राशि का सेवाकर के रूप में भुगतान करना तथा यहां तक कोई अवधि का भी उल्लेख नहीं है।

उच्च न्यायालय का निर्णय : उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी कल्पना से, उक्त पत्र को अधिनियम की धारा 73 की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाला कारण बताओ नोटिस माना जाये। उच्च न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि नोटिस को जारी करने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता तथा स्पष्टीकरण की मांग को माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्यथा कर के नाम में धन की मांग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन होगा। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

9. संविदात्मक व्यवस्था पर आधारित, क्या करनिर्धारी विभाग को तृतीय पक्ष से देय कर को वसूलने के लिए कह सकता है अथवा जब तक इंतजार करें जब तक करनिर्धारी उसे वसूल न ले?

Delhi Transport Corporation v. Commissioner Service Tax 2015 (038) STR 673 (Del.)

मामले का तथ्य : अपीलकर्ता ने बसक्युशेल्टर्स तथा टाइम कीपिंग बूथ पर विज्ञापन के प्रदर्शन के लिए सात विभिन्न एजेंसी के साथ संविदा किया। संविदा की शर्त स्पष्ट रूप से वर्णित करती है लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संबंधित प्राधिकरण द्वारा लगाये कर का सीधे प्राधिकरण को भुगतान का कर्तव्य ठेकेदार/विज्ञापनदाता का होगा।

विभाग ने अपीलकर्ता को नोटिस जारी कर उसके द्वारा प्रदान विज्ञापन के प्रदर्शन की सेवा पर ब्याज तथा दंड सहित सेवाकर के भुगतान के लिए कहा।

अपीलकर्ता की दलील : अपीलकर्ता ने दलील दी कि वे वास्तविक विश्वास के अन्तर्गत हैं कि सेवाकर के प्रेषण का दायित्व समझौते के रूप में प्राप्तकर्ता को अंतरित हो गया जिसके कारण इसने विवरणी को फाइल नहीं किया तथा सेवाकर का भुगतान नहीं किया। उन्होंने *Rashtriya Ispat Nigam Limited v. Dewan Chand Ram Saran 2012 (26) STR 289 (SC)* पर विश्वास कर यह प्रार्थना की कि उपरोक्त वर्णित प्रकृति में संविदा कर यह कानूनी अपेक्षा है कि सेवाकर दायित्व का वहन ठेकेदार/विज्ञापनदाता के द्वारा किया जायेगा तथा अपीलकर्ता को दंड के चूक में मानने का कोई औचित्य नहीं है।

उच्च न्यायालय का अवलोकन : उच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदान सेवा करयोग्य है तथा अपीलकर्ता उस पर सेवाकर के भुगतान के लिए दायी है आगे, अपीलकर्ता का एक संविदा के जरिये सेवा कर दायित्व का अंतरण के संबंध में '*Rashtriya Ispat Nigam Limited*' का अपीलकर्ता पर विश्वास किया। उच्च न्यायालय ने यद्यपि अवलोकित किया कि उच्चतम न्यायालय का उक्त आदेश इस तथ्य से विचलित नहीं कर सकता कि वैधानिक प्रावधान की शब्दावली में, यह अपीलकर्ता जिसे सेवाकर के कारण राजस्व की तरफ दायित्व का वहन करना है।

उच्च न्यायालय ने CESTAT की अवलोकन के साथ सहमति दी कि "वास्तविक विश्वास" सार से हटकर है। अपीलकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा वैधानिक दायित्व की अनुपालन में ज्यादा जागरूक होना चाहिए। यह दलील के अंदर आवरण नहीं ले सकता

कि इसके द्वारा लिप्त ठेकेदार कराधान का भार का वहन करने के लिए सहमत है, उसकी तरफ से कोई आगे कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। विधान पर कर लगाने के उद्देश्य के लिए, अपीलकर्ता करनिर्धारि था तथा वैधानिक रूप से स्वयं को पंजीकृत करवाने के लिए न केवल बाध्य था, परन्तु कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियम के अनुसार विवरणी को भी जमा करना आवश्यक था।

उच्च न्यायालय का निर्णय : उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निःसंदेह, सेवाकर भार को अन्य पक्ष को संविदात्मक व्यवस्था के द्वारा अंतरित किया जा सकता है, करनिर्धारि राजस्व तृतीय पक्ष (अन्य पक्ष) से देय कर को वसूल करने अथवा ठेकेदारों (अन्य पक्ष) से राशि की वसूली तक करनिर्धारि द्वारा दायित्व का वहन करने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह नहीं सकता।

नोट : Rashtriya Ispat Nigam Limited के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधान के अन्तर्गत करनिर्धारि के रूप में अपीलकर्ता इस प्राप्त मामले में सेवा प्राप्तकर्ता तथा कर प्राधिकरण के मध्य केवल सेवाकर से संबंधित प्रावधान प्रासंगिक है। यह वैधानिक प्रावधान अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी (सेवा प्रदानकर्ता) के मध्य अधिकार तथा दायित्व के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है जैसा दोनों के मध्य सहमति हुई है। कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपीलकर्ता को प्रतिवादी हैंडलिंग ठेकेदार के साथ समझौता करने से कि संविदा के अन्तर्गत प्रतिवादी के दायित्व से उत्पन्न कर का भाग प्रतिवादी द्वारा वहन करना होगा।

भाग C : कस्टम

सीमा शुल्क का लगाना तथा विमुक्ति

10. कच्चे तेल का आयात के मामले में, क्या सीमा शुल्क लदान बिल में दिखायी तेल की मात्रा के आधार पर अथवा भारत में किनारे तक प्राप्त वास्तविक मात्रा पर भुगतानयोग्य है?

Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd v. CCus. 2015 (323) ELT 433 (SC)

मामले का तथ्य : करनिर्धारि ने कच्चे तेल का आयात किया। सागर हानि के कारण लदान बिल में दिखायी कच्चे तेल की मात्रा भारत में समुद्र किनारा से प्राप्त वास्तविक मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान किया।

विवाद का बिंदु : विभाग ने दलील दी कि लदान का कई बिलों में वर्णित कच्चा तेल की मात्रा शुल्क के भुगतान का आधार होना चाहिए तथा न कि भारत में समुद्र के किनारे वास्तव में प्राप्त मात्रा पर। इसे इस आधार पर वर्णित किया गया कि शुल्क को मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तथा न कि विशिष्ट दर पर। करनिर्धारि की दलील है कि इसमें कोई अंतर नहीं आता कि सीमा शुल्क के लिए आधार एक विशिष्ट दर पर है अथवा मूल्य पर जब तक केवल आयात के समय वस्तु की मात्रा को देखा जाना चाहिए।

अधिकरण का अवलोकन : अधिकरण ने इन कारणों के आधार पर विभाग की दलील को स्वीकृत किया :

- (i) शुल्क प्राप्त मात्रा पर विचार किये बिना करनिर्धारि द्वारा किये गये कुल भुगतान पर लगाना चाहिए।
- (ii) एक *ad valorem* शुल्क आवश्यक रूप से इस परिणाम की तरफ ले जाता है, परन्तु विशिष्ट दर नहीं। बाद वाले मामले में विचार की जाने वाली मात्रा समुद्र किनारे पर प्राप्त कच्चा तेल की मात्रा होगी।
- (iii) कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 14 जब पिकचर में आती है जब शुल्क मूल्य आधार पर है तथा अधिनियम की धारा 13 तथा 23 रास्ते में नहीं आता क्योंकि यह प्राप्त नहीं वस्तु पर शुल्क को मांगने का प्रश्न नहीं है, परन्तु सौदा मूल्य पर शुल्क की मांग करने का है। "समुद्र हानि" होने के बावजूद करनिर्धारि को लदान बिल के आधार पर भुगतान करना होगा।

उच्चतम न्यायालय का अवलोकन : करनिर्धारि ने मुद्दा उच्चतम न्यायालय के सम्मुख उठाया। उच्चतम न्यायालय ने निम्न नोट किया :

- (i) अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत सीमा शुल्क केवल भारत में आयातित वस्तु पर लगता है। वस्तु को भारत में आयातित माना जाता है जब उन्हें भारत से बाहर एक स्थान से भारत में लाया गया। जब तक वस्तु को भारत में नहीं लाया गया, आयात की कार्यवाही जिससे कर लगता, उत्पन्न नहीं हुई।
- (ii) यदि वस्तु उसकी लदान के पश्चात् चोरी की गयी अथवा गृह उपभोग के लिए क्लीयरेंस अथवा वेयरहाउस में जमा से पूर्व किसी समय गुम अथवा नष्ट हो गयी। आयातक इस प्रकार की वस्तु पर लगने वाले शुल्क के लिए दायी नहीं है। इसी कारण से आयात नहीं माना जाता जब तक वह भारत की जमीन का हिस्सा न बन जाये तथा जब तक आयात की कार्यवाही पूर्ण न हो जाये जो धारा 13 तथा 23 के अन्तर्गत केवल गृह उपभोग के लिए क्लीयरेंस के आदेश करने के पश्चात् तथा/अथवा वेयरहाउस में वस्तु को जमा करने की अनुमति देने पर होती है।
- (iii) धारा 23(2) के अन्तर्गत आयातित वस्तु का स्वामी इस प्रकार के आदेश से पूर्व वस्तुओं के स्वत्व (Title) पर अपना अधिकार त्याग सकता है तथा उस पर शुल्क के भुगतान के लिए दायी नहीं होगा। संक्षेप में, वह भारत में किसी बंदरगाह पर वस्तु का भौतिक रूप से उतरने के पश्चात् परन्तु उपरोक्त आदेश में किसी के होने से पूर्व अपने अधिकार को त्याग सकता है। इसी कारण से आयात पूर्ण होता है जब वस्तु आयातक के हाथ में है उसके पश्चात् उसे गृह उपभोग के लिए क्लीयर किया है अथवा वेयरहाउस में जमा किया है।
- (iv) आगे, कस्टम अधिनियम की धारा 47 के अनुसार, आयातक को केवल उस वस्तु पर आयात शुल्क का भुगतान करना चाहिए जो गृह उपभोग के लिए प्रविष्ट हुई है। निःसंदेह आयातित वस्तु की मात्रा समय पर वस्तु की मात्रा होगी जो गृह उपभोग के लिए प्रविष्ट हुई है।

उच्चतम न्यायालय ने वर्णित किया कि अधिकरण का निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क कि आयातित वस्तु के मूल्य के उद्देश्य के लिए सेवा केवल लदान के बिल की मात्रा पर विचार

करना चाहिए कानून में गलत है। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण द्वारा दिये गये प्रत्येक तर्क का परीक्षण किया जो निम्न है :

- (i) अधिकरण से यह तथ्य ओझल हो गया कि आयात शुल्क के संदर्भ में कर केवल आयातित वस्तु पर हो सकता है अर्थात् भारत के बाहर के स्थान से भारत में लायी गयी वस्तु पर। जब तक यह ना हो, कर का कोई प्रभार नहीं है।
- (ii) आयातित वस्तु के मामले में करयोग्य घटना "आयात" है। क्रय कर के मामले में करयोग्य घटना वस्तु का क्रय है। लदान के बिल में वर्णित वस्तु की मात्रा शायद पक्षों के मध्य क्रय सौदे में वस्तु की मात्रा को परिलक्षित करेगी, परन्तु आयात के समय तथा स्थान पर वस्तु की मात्रा को परिलक्षित नहीं करेगी। इसलिए लदान के बिल को वैध रूप से क्रय कर के मामले में देखा जाना चाहिए, परन्तु आयात शुल्क के मामले में नहीं।
- (iii) अधिकरण के ध्यान से अधिनियम की धारा 13 तथा 23 ओझल हो गयी। जब वस्तु जिसका आयात किया है गुम हो गयी, चोरी हो गयी अथवा नष्ट हो गयी, उस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा जब तक वह कस्टम से बाहर है तथा आयातक के हाथों में नहीं आ जाती। यह स्पष्ट है कि इसलिए केवल इस चरण पर आयातित वस्तु की मात्रा को मूल्यांकन के उद्देश्य से देखना चाहिए।
- (iv) अधिकरण के निर्णय का आधार कस्टम अधिनियम की धारा 14 का पूर्ण रूप से गलत ढंग से पढ़ना है। पहले, उक्त धारा एक धारा है जो सीमा शुल्क को लगाने के लिए माफ है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 12 में पाया गया है। या तब, जब आयातित वस्तु का मूल्य की माफ की बात है, यह आयात के समय तथा स्थान पर है जो फिर से अधिकरण से ओझल हो गयी।
- (v) अधिकरण का तर्क है कि जब कस्टम ड्यूटी मूल्य (ad Valorem) आधार पर है, आयातित वस्तु की मात्रा में बदलाव का आधार पर पहुँचना महत्वहीन है। चाहे सीमा शुल्क एक विशिष्ट दर पर है अथवा मूल्य पर, वैधानिक योजना में न्यूनतम अंतर नहीं करता। सीमा शुल्क चाहे यह विशिष्ट दर पर है अथवा मूल्य पर है, उन वस्तु पर नहीं लगता जिनकी चोरी हो गयी, गुम हो गयी अथवा नष्ट हो गयी जब तक गृह उपभोग के लिए प्रवेश बिल न बना लिया हो अथवा वस्तु का वेयरहाउस के लिए आदेश न कर लिया हो। इसी कारण से आयात पूर्ण नहीं होता जब तक जो वर्णित किया घटित न हो जाये।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा घोषित किया कि भारत में स्थित एक बंदरगाह में एक समुद्र किनारे है। वास्तव में प्राप्त कच्चा तेल की मात्रा सीमा शुल्क के भुगतान का आधार होना चाहिए।